

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022—फाल्गुन 6, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्र. ई-1-97-2021-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 20/7/2021-EO (MM-1), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के अनुक्रम में श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन की सेवाएं उपसचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर दिनांक 12-01-2022 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्र. ई-1-153-2021-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-45-2021-AIS-I, दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा श्री श्यामबीर, भाप्रसे (MP : 2018) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश संवर्ग से जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग को सौंपी गई हैं।

(2) अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री श्यामबीर, भाप्रसे (MP : 2018), अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), जोबट जिला अलीराजपुर को जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022

क्र. ई-1-7-2022-5-एक.—श्री आदित्य सिंह (2014), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2022

क्र. ई-1-9-2022-5-एक.—श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-10-2022-5-एक.—डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे (2019), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अवर, सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2021

क्र. ई-1-266-2021-5-एक.—श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री जे. एन. कांसौटिया, भाप्रसे (1989) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2022

क्र. ई-1-16-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

(1) (2) (3)

2 श्री दिनेश श्रीवास्तव (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3 श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (2011), संचालक, आदिम जाति संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल. क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2022

क्र. ई-1-7-2021-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लेखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2021 AIS (I)-B, दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 17 जनवरी 2022 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है:-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती रानी बाटड	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला.
2	श्री सुधीर कुमार कोचर	उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
3	श्री नियाज अहमद खान	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
4	श्रीमती जमुना भिड़े	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम.
5	श्री संजय कुमार जैन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).

(2) नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लेखित अधिकारी, जो भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2021 AIS (I)-B , दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना (3) में दर्शाए गए संवर्ग के असंवर्गीय/संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 17 जनवरी, 2022 से उक्त पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना (3) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री चन्द्रशेखर शुक्ला	विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, नर्मदा घाटी विकास तथा उद्यमिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
2	श्री दिलीप कुमार, कापसे	मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	श्री बुद्धेश कुमार वैद्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
4	डॉ. वरद मूर्ति मिश्रा	कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5	श्री विनय निगम	महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
6	डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर	अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
7	श्री अजय देव	अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
8	श्रीमती नीतू माथुर	संयुक्त आयुक्त, (लिटिगेशन एवं समन्वय), ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
9	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
10	श्रीमती राखी सहाय	उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
11	सुश्री शीला दाहिमा	अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
12	श्रीमती बिदिशा मुखर्जी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022

क्र. ई-1-25-2022-5-एक.—श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2022

क्र. ई-1-24-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संजय गुप्ता (2007), कलेक्टर, जिला हरदा.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री इलैयाराजा टी. (2009), कलेक्टर, जिला रीवा.	कलेक्टर, जिला जबलपुर.	—
3.	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), कलेक्टर जिला जबलपुर.	प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री मनोज पुष्प (2011), कलेक्टर, जिला अलीराजपुर.	कलेक्टर, जिला रीवा.	—
5.	श्री ऋषि गर्ग (2013), कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला हरदा.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री राघवेन्द्र सिंह (2013), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर.	कलेक्टर, जिला अलीराजपुर.	—
7.	सुश्री नेहा मीना (2014), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर.	अपर कलेक्टर, जिला नीमच.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
8.	श्री हिमांशु चन्द्र (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इंदौर तथा अपर कलेक्टर, जिला इंदौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल.	—

(2) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010) द्वारा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, केवल प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ-11-184-2021-सूअप्र-1-9-44.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, को दिनांक 17 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक, कुल चौदह दिवस की अवधि के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु नाहर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. 125-145-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जनवरी 2022 तक (05 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. एफ 5-04-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-59-(दो-1-26-2021), दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 20 दिसम्बर 2021 का एक दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-18-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-86-(दो-1-11-2021), दिनांक 06 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 Estt (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है.

क्र. एफ-5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अरुण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-5372-(दो-1-22/2021), दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 30 नवम्बर एवं 10 दिसम्बर 2021 का कुल दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)73-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 27 दिसम्बर 2021 से 7 जनवरी 2022 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 दिसम्बर 2021 व 08-09 जनवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2021 द्वारा श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु., भोपाल का दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने से निरस्त करता है।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)45-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 23 दिसम्बर 2021 तक, आठ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2022

क्र. एफ-1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 21 से 28 जनवरी 2022 तक, आठ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से सोलह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 193-1991-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी 2022 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 04 से 11 फरवरी 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 12-13 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर मुल्लापुर एस.ए.एस. नगर (पंजाब) जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री बी. बी. शर्मा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती कांता शर्मा | — | पत्नी |
| 3. श्री ईशान शर्मा | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2022

फा. क्र. 639-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3376, 3295-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 सितम्बर 2020 द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता, श्री सुशांत तिवारी, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 4 सितम्बर 2021 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है।

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022

फा. क्र. 608-इक्कीस-ब(दो)2022.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060/02 में सेशन न्यायालय, सागर के द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किये गये आदेश के विरुद्ध दायर अपील (एम.सी.आर.सी. क्रमांक 60275/2021) में श्री कार्तिक शुक्ल, अधिवक्ता, निवासी नागपुर को अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है। उनके व्यय का भुगतान वार्डलड लाईफ कंजर्वेशन सोसायटी, बेंगलौर द्वारा वहन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वैभव विकास शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ-11-5 (10-1) 2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर श्री अभिजीत

अग्रवाल, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को वित्त विभाग की सहमति दिनांक 11 जनवरी 2022 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्र. एफ-16-02-2022-ए-ग्यारह.—बायलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स गेल (इंडिया), विजयपुर, जिला-गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4963 एवं इकोनोमाइजर एमपी/ई-172 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 16 फरवरी से 15 मई 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है।

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी।
- नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।
- आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2022

क्र. एफ-3-04-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 5579-टी सी-71-नरसिंहपुर-उपां-नगानि-2021, भोपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंदेली	10	14/2	0.2997	वाणिज्यिक, वर्तमान बस स्थानक एवं मार्ग.	मिश्रित एवं मार्ग

योग . . 0.2997

शर्तें —

1. स्थल के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगी.
2. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.
3. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
4. उपरोक्त उपांतरण नरसिंहपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-08-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 5203-टी सी-36-उपां-डबरा-नगानि-2021, भोपाल दिनांक 25 नवम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित डबरा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रामगढ़ तहसील डबरा जिला ग्वालियर.	530, 531 एवं 537 में से	6.208 में से 0.285	परिवहन के अन्तर्गत बस स्टेण्ड	मिश्रित

योग . . 0.285

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण डबरा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2022

फा क्र. 746-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर एवं ग्वालियर में विधि अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी समस्त आदेशों को (नई दिल्ली में पूर्व से पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता को छोड़कर) अधिष्ठित करते हुए, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर एवं ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन, करता है :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

क्र.	नाम
(1)	(2)
1.	Shri Ashish Anand Barnad Presently working as Dy. A. G.
2.	Shri Harpreet Singh Ruprah Enroll. No.-2532/1999
3.	Shri Abhay Prakash B. R. Enroll No.-1493/1991 Attached Delhi
4.	Shri Bharat Singh Enroll. No. D-1882/1999 Attached Delhi

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
उप महाधिवक्ता, जबलपुर

क्र.	नाम
(1)	(2)
1.	Shri Vivek Sharma Already working as Dy. A. G.
2.	Shri Amit Seth Enroll. No.-508/2003.
3.	Smt. Janhvi Pandit Enroll. No.-1387/2005
4.	Shri Swapnil Ganguly Already working as Dy. A. G.

क्र.	नाम
(1)	(2)
1.	Shri Shiv Kumar Kashyap Already working as GA.
2.	Shri Pradeep Singh Already working as GA.
3.	Shri Pramod Saxena Already working as GA.
4.	Shri Yogendra Das Yadav Already working as GA.
5.	Shri Piyush Dharmadhikari Already working as GA.
6.	Shri Akhilendra Singh Already working as GA.
7.	Shri Pradeep Kumar Gupta Already working as GA.
8.	Shri Satyapal Chadar Already working as GA.
9.	Shri Gulabkali Patel Already working as GA.
10.	Shri Bramhadatt Singh, Already working as GA.
11.	Shri Rajeshwar Rao Already working as GA.
12.	Shri Shiv Kumar Shrivastava Already working as GA.
13.	Shri Ankit Agrawal Already working as GA.
14.	Shri Mukund Agrawal Enroll No. 2589/1996.
15.	Smt. Priyanka Mishra Already working as GA.
16.	Shri Darshan Soni Already working as GA.
17.	Shri Ritwik Parashar Already working as GA.

(1)	(2)	(1)	(2)
18.	Shri Siddharth Singh Enroll No. 339/2004.	36.	Shri Praveen Namdeo Enroll No. 1645/2005.
19.	Shri Vivek Lakhera Enroll No.3856/2005.	37.	Shri Subodh Kathar Enroll No. 1794/1992.
20.	Shri Ajay Shukla Enroll No. 1751/2001.	38.	Shri Rajesh Chand Enroll No. 3749/1999.
21.	Shri Chandrakant Mishra Enroll No. 966/1990.	39.	Shri Abhay Shankar Pathak Enroll No. 1193/1994.
22.	Shri G. P. Singh Enroll No. 1798/1995.	40.	Shri Girish Kekre Enroll No. 2818/1996.
23.	Shri Arvind Singh Enroll No.842/1999.	41.	Shri Suyash Thakur Enroll No. 2622/2013.
24.	Shri Aditya Gupta Enroll No. 1364/1999.	42.	Shri Dilip Kumar Shrivastava Enroll No. 81/1997.
25.	Shri Yogesh Dhande Enroll No. 1804/1995.	43.	Shri Rohit Jain Enroll No. 1158/2007.
26.	Shri Ved Prakash Tiwari Enroll No. 3502/2006.	44.	Shri Ajit Rawat Enroll No. 175/2007.
27.	Shri Chandra Mohan, Tiwari Enroll No. 1369/2005.	45.	Shri Kamal Singh Baghel Enroll No. 1279/1994.
28.	Shri Akshya Namdeo Enroll No. 2345/2004.	46.	Shri Naveen Dubey Enroll No. 183/2001.
29.	Shri Amit Kumar Sharma Enroll No. 606/2007.	47.	Shri Manas Mani Verma Enroll No. 2093/2005.
30.	Shri Pramod Thakre Enroll No. 2380/1996.	48.	Shri Piyush Jain Enroll No. 1759/2006.
31.	Shri Aayush Dev Bajpai Enroll No. 1590/2012.	49.	Shri Lalit Joglekar Enroll No. 2133/2001.
32.	Shri Narendra Chaurasia Enroll No.2694/2000	50.	Shri Chandrapal Singh Parmar Enroll No. 2130/1997.
33.	Shri Ashok Sinha Enroll No. 2744/2001.	51.	Shri Ramji Pandey Enroll No. 1529/2003.
34.	Shri Yas Soni Enroll No. 1194/2011.	52.	Ku. Shweta Yadav Enroll No. 1536/2013.
35.	Shri Pramod Pandey Enroll No. 2240/2001.	53.	Shri Divesh Jain Enroll No. 2574/1993

(1)	(2)	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर	
क्र.	नाम	क्र.	नाम
(1)	(2)	(1)	(2)
54.	Shri Sudeep Chatterjee Enroll No. 2952/2000.		
55.	Shri D. K. Paroha Enroll No. 2092/1995.	1.	Smt. Mamta Shandilya Already working as G.A.
56.	Shri Vijay Soni Enroll No. 2867/1999.	2.	Shri Vineeta Phaye Already working as G.A.
	महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर	3.	Shri Sanjay Karanjawala Already working as G.A.
क्र.	नाम	4.	Shri Amit Sisodiya Already working as G.A.
(1)	(2)	5.	Shri Aditya Garg Already working as G.A.
1.	Shri Alok Agnihotri Enroll No. 1839/2013.	6.	Shri Hemant Sharma Already working as G.A.
2.	Shri Achyutendra Singh Baghel, Enroll No. 557/2014.	7.	Shri Valmik Shakargaye Already working as G.A.
3.	Shri Santosh Yadav Enroll No. 958/2007.	8.	Shri Ranjeet Sen Already working as G.A.
4.	Shri Pramod Kumar Choubey Enroll No. 1260/1991.	9.	Bharti Lakkad Already working as G.A.
5.	Shri Atmaram Ben Enroll No. 1761/2009.	10.	Shri D. K. Dubey Already working as GA at Delhi.
	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर	11.	Shri Akash Sharma Enroll No. 2781/2000.
क्र.	नाम	12.	Shri Mukesh Sharma Enroll No. 1431/2013.
(1)	(2)	13.	Shri Nitin Bhati Enroll No. 1287/2004.
1.	Shri Pushyamitra Bhargawa Already working as Addl. AG.	14.	Shri Vaibhav Bhagwat Enroll No. 2080/1999.
2.	Shri Umesh Gajankush Enroll No.2879/1994.	15.	Shri Bhaskar Agrawal Enroll No. 2479/2008.
	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर उप महाधिवक्ता, इन्दौर	16.	Shri Rajesh Joshi Enroll No. 1569/1993.
क्र.	नाम		
(1)	(2)		
1.	Shri Manish Nair Enroll No. 460/1998.		
2.	Shri Shrey Raj Saxena Already working as Dy. A.G.		

(1)	(2)	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर	
क्र.	नाम	क्र.	नाम
17.	Shri Mukesh Kumawat Enroll No. 2964/2005.	(1)	(2)
18.	Shri Kamal Kumar Tiwari Enroll No. 1234/2004.	1.	Shri Ankur Mody Already working as Addl. A. G.
19.	Shri Vishal Sanothiya Enroll No. 2783/2010.	2.	Shri M. P. S. Raghuvanshi Already working as Addl. A. G.
20.	Shri Ritnesh Raghuvanshi Enroll No. 2743/2007.	3.	Shri Rohit Mishra Already working as Addl. A. G.
21.	Shri Rahul Solanki Enroll No. 1157/2012.	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप महाधिवक्ता, ग्वालियर	
22.	Shri Kaustubh Pathak Enroll No. 2004/2009.	क्र.	नाम
23.	Shri Bhuwan Deshmukh Enroll No. 1549/2002.	(1)	(2)
24.	Shri Govind Purohit Enroll No. 1061/2008.	1.	Shri Rajesh Shukla Already working as Dy. A. G.
25.	Anuradha Mishra (attached at Delhi) Enroll No. 2872/2009.	2.	Shri Ravindra Singh Kushwah Already working as Dy. A. G.
26.	Shri Raghvendra Singh Bais Enroll No. 2770/1996.	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर	
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर उप शासकीय अधिवक्ता, इन्दौर		क्र.	नाम
क्र.	नाम	(1)	(2)
(1)	(2)	1.	Shri Sanjay Sharma Already working as G.A.
1.	Smt. Versha Singh Thakur Enroll No. 1569/2011.	2.	Shri Kuldeep Singh Already working as G.A.
2.	Shri Hitendra Tripathi Enroll No. 2975/2006.	3.	Shri Anil Shukla Already working as G.A.
3.	Shri Santosh Singh Thakur Enroll No. 1515/2005.	4.	Mohd. Siraz Quraishi Already working as G.A.
4.	Shri Rajendra Singh Suryavanshi Enroll No. 91/2009.	5.	Shri Bhanu Pratap Singh Chauhan Already working as G.A.
5.	Shri Gaurav Singh Chouhan Enroll No. 529/2014.	6.	Shri Pramod Pachauri Already working as G.A.
		7.	Shri Deepak Khot Already working as G.A.

(1)	(2)	(1)	(2)
8.	Shri Neelesh Tomar Already working as G.A.	22.	Shri Ramadhar Choubey Already working as G.A.
9.	Shri Brij Mohan Shrivastava Already working as G.A.	23.	Shri Naval Kishore Gupta Already working as G.A.
10.	Shri Ajay Nirankari Already working as G.A.	24.	Shri Devendra Choubey Already working as G.A.
11.	Shri Rajeev Upadhyay Already working as G.A.	25.	Shri Yash Raj Bundela Already working as G.A.at Delhi
12.	Shri Giriraj Kishore Agrawal Already working as G.A.	26.	Dr. Anjali Gyanani Enroll No.3723/2005.
13.	Shri Kaushlendra Singh Tomar Already working as G.A.	27.	Shri Sushant Tiwari Enroll No.1884/2004.
14.	Shri Rajkumar Awasthy Already working as G.A.	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर	
15.	Shri Varun Kaushik Already working as G.A.	क्र.	नाम
16.	Shri Avaneesh Singh Already working as G.A.	(1)	(2)
17.	Shri Jeetesh Sharma Already working as G.A.	1.	Shri Lokendra Shrivastava Already working as Dy. G.A.
18.	Smt. Abha Mishra Already working as G.A.	2.	P. P. S. Vajeeta Already working as Dy. G.A.
19.	Shri Ashok Singh Chouhan Already working as G.A.	3.	Shri Gopal Chourasia Already working as Dy. G.A.
20.	Shri Nirmal Kumar Sharma Already working as G.A.	4.	Shri Pawan Singh Raghuvanshi Enroll No.1290/2007.
21.	Shri Mahendra Kumar Jain Already working as G.A.	इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.	
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.	

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 76-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-492

सागर, दिनांक 21 जनवरी 2022

॥ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियाँ लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

- 1 परियोजना का नाम :- बीना सिंचाई परियोजना मढिया बांध निर्माण
- 2 भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ़
 3. ग्राम हुराकुटगवां
 4. पटवारी ह. नं. 24
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 87.969 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	भूस्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.में)	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)			भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूरन वल्द धनीराम पता सा.भूरेरू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/385	0.700	0.490	0.000	0.000	2 बेरी, 2 छेवला
2	तरूण पिता हरगोविंद जाति साहू पता हुराकुटवागुवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	223/2	1.600	0.399	0.000	0.000	
3	श्यामलाल पिता आलम पता सा.पारासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243	0.740	0.025	0.000	0.000	
4	भागवती बाई पति लछमन पता सा.पारासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	244	0.320	0.000	0.162	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	क्रांतिबाई पति प्रमोद कुमार पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/1	0.630	0.600	0.000	0.030	1 नलकूप 1 बेरी, 2 छेवला
6	कृष्णपाल सिंह वल्द अनारसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	246/2	0.550	0.550	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
7	यशवंतसिंह वल्द बलराम पता हुरा कुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/3	0.640	0.510	0.000	0.040	
8	किशोरसिंह पुत्र बलराम पता हुरा कुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/4/1	0.410	0.395	0.000	0.015	1 पक्का कुआ
9	विनय पुत्र किशोरसिंह पता राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	246/4/2	0.220	0.205	0.000	0.015	
10	शारदाबाई देवा शिवनारायण पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	253	1.590	1.550	0.000	0.040	
11	हरिनारायण वल्द ओकारप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	254	1.550	0.630	0.000	0.000	2 बेरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	<p>कृष्णकुमार पिता भवानीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी श्रीबाई पुत्री भवानीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी नरेन्द्र पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी विशाल पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी ब्रजेश पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी विकास पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी रमाकांत नाबा पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी अनीता पुत्री सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी सुरेखा पिता सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी संतोषरानी बेबा सीताराम पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/48 भाग भूमिस्वामी नीरज पिता शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नितिन पिता शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नवीन नाबा पिता शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नीरू पिता शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी नीलम पुत्री शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी शारदाबाई बेबा शिवनाराण पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी परपोत्तम पिता द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सुरजीत पिता द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सोनु पिता द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सरला पुत्री द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सुषमा पुत्री द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी सोनुबाई पुत्री द्वारकाप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/36 भाग भूमिस्वामी रामशंकर पिता सुन्दरलाल पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी कमलाबाई पुत्री सुन्दरलाल पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी नीतिबाई पुत्री सुन्दरलाल पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी विनीताबाई पुत्री सुन्दरलाल पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/30 भाग भूमिस्वामी कीर्ति पुत्री तीरथ पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/90 भाग भूमिस्वामी स्मृति पुत्री तीरथ पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/90 भाग भूमिस्वामी प्रीति पुत्री तीरथ पता हुराकुटगवां राहतगड सागर म0प्र0 1/90 भाग भूमिस्वामी</p>	भूमि स्वामी	255/1	0.370	0.000	0.138	0.000		
			266/1	0.680	0.000	0.087	0.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	अमित पिता राजकुमार जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	255/2	0.400	0.400	0.000	0.000	
14	अनिल पिता हरनारायण जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	255/4	0.240	0.118	0.000	0.000	
15	बृजकिशोर तिवारी पुत्र ओकारप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	255/3	0.060	0.060	0.000	0.000	
16	नीरज भीम नवीन पिता शिव नारायण शारदाबाई बेवा शिवनारायण नीलम नीतू पुत्री शिवनारायण पता निवासी ग्राम परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	255/5	0.030	0.030	0.000	0.000	
			266/3	0.140	0.140	0.000	0.000	
17	श्रीबाई पुत्री भवानी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी ललताबाई बेवा भवानी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी नीरज पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नितिन पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नीरू पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नवीन पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी नीलम पिता शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी शारदाबाई बेवा शिवनारायण पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/18 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	265/1	0.510	0.000	0.213	0.000	
18	राधा पत्नी बृजकिशोर तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	266/2	0.110	0.100	0.000	0.010	
			267/1	0.360	0.350	0.000	0.010	1 पक्का कुआ 1 छेवला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	धानसींग पिता देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी बालकिशन पिता देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी राधाबाई पुत्री देवी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी प्रमोद पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी दयाचंद पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी राहुत पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी मदन पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी गायत्री पिता नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी गीता पुत्री नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी राधा पुत्री पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी काशीबाई बेवा नाथूराम पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/32 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	280	0.050	0.050	0.000	0.000	
			282	1.010	0.847	0.000	0.010	1 कच्चा तालाब
			328	0.280	0.000	0.205	0.030	
20	सुरेश अशोक महेश बबलेश पिता हरीराम दीपक योगेश दीपाली नाबा. पिस. गोपाल बली व खुद मां लक्ष्मीबाई बेवा हरीराम छोटे पितानिरपत पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283/1	1.260	0.000	1.260	0.000	
21	अनुजकुमार वल्द सूर्यप्रकाश पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283/2	2.400	0.431	0.000	0.000	
			283/3	0.450	0.450	0.000	0.000	1 कच्चा कुआ
22	अभयकुमार पिता सूर्यप्रकाश पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	285	1.030	0.124	0.000	0.000	1 बमूरा
			279/4	0.400	0.400	0.000	0.000	
23	मनोहरलाल वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	286	1.570	0.259	0.000	0.000	1 छेवला
			319	0.570	0.336	0.000	0.020	1 कच्चा कुआ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	हजारी पिता मौजीलालसावित्री पति हजारीलाल पता सा.कल्यानपुर भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	312	4.090	2.301	0.000	0.040	
25	रामचरण पिता हीरालाल पता सा.कल्यानपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	313	3.960	0.000	1.321	0.010	1 छेवला
26	गणेश पिता भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी जयपाल पिता भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी कमलाबाई पुत्री भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी रामाकांति पुत्री भगवानसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी रूपरानी बेवा भूमनसींग पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	314/1	1.610	0.322	0.000	0.010	
27	नरेन्द्रसिंह पिता हजारीलाल पता नि. कल्याणपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	314/2	0.600	0.600	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 1 नीम
28	रामसेवक वल्द कम्मोद दशोदाबाई कुसुमबाई चन्द्राबाई जीराबाई सावित्रीबाईपुत्री कम्मोद आशीष अनिकेत ना.वा.वल्दहरसेवक भारत अर्चना शीला अंजू ना.वा.वल्द हरसेवकपा.मां व खुद मां सुखवती सुखवती बेवा हरसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316	1.610	0.000	0.579	0.000	
29	बाबूलाल पिता मौजी लालसुशीलाबाई पत्नि बाबूलाल पता सा.कल्यानपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317	2.150	0.087	0.000	0.000	
30	मिथलेश बेवा रामनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	318	2.440	0.979	0.000	0.040	
31	लछमन वल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	295	2.160	2.150	0.000	0.010	1 पक्का कुआ 2 बेरी
			272	1.140	0.000	1.100	0.040	2 बेरी, 7 छेवला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	माधवसिंह बल्दईश्वरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	329	0.810	0.042	0.000	0.010	1 पक्का कुआ
33	मोहरसींग पिता शमशेर पता नि. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	330	0.820	0.000	0.504	0.020	1 सेमर
			278	0.110	0.110	0.000	0.000	
34	बैजन्ती पति बालकिशन पता नि. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	331/2	0.420	0.000	0.180	0.020	
			332	0.190	0.080	0.000	0.000	
35	भागवती बाई पति लछमन पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218	0.420	0.400	0.000	0.020	
			222	0.110	0.100	0.000	0.010	1 पक्का कुआ 1 छेवला
36	आयुष बल्द अवधेश सिंह प्राची पुत्री अवधेशसिंह बल्ली बेवा अवधेशसिंह पता सा0 देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	219	0.700	0.700	0.000	0.000	
37	धनराज पिता मठोले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	245	0.450	0.450	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 2 बेरी
			247	0.120	0.120	0.000	0.000	
			250	0.280	0.280	0.000	0.000	2 बेरी
38	कनई पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	0.030	0.030	0.000	0.000	
			281/1	0.750	0.750	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 कच्चा कुआ, 1 कच्चा तालाब,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	उषा तिवारी बेवा अशोक कुमार तिवारी पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमि स्वामी रिंकी पुत्री अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी पिंकी पुत्री अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	251/1	0.350	0.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 5 बेरी, 1 अमरुद, 2 बांस घेरा
40	रूपेश तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	251/2	0.600	0.600	0.000	0.000	
41	निखिल तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	251/3	0.600	0.600	0.000	0.000	
42	अनारसींग बल्द बलराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	252	0.150	0.150	0.000	0.000	
43	नीतेश तिवारी पुत्र बृजकिशोर तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	267/2	0.600	0.600	0.000	0.000	
44	जोतेश तिवारी पुत्र बृजकिशोर तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	267/3	0.600	0.600	0.000	0.000	
45	खेमराज पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	268/1	0.810	0.800	0.000	0.010	1 पक्का कुआ 1 आवंला, 1 अमरुद
46	मोहन पिता मठोले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	268/2	0.810	0.800	0.000	0.010	1 पक्का कुआ
47	कैलाश पिता मठोले पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	268/3	0.400	0.400	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 1 बमूरा
			281/2	0.400	0.400	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	पार्वती कोशल्याबाई पुत्री बाबुलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269/1	0.140	0.140	0.000	0.000	1 कच्चा कुआ
			276/1	0.460	0.460	0.000	0.000	
49	राजकुमार पिता ओकारप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	269/2	0.450	0.450	0.000	0.000	1 नलकूप
			276/2	1.350	1.350	0.000	0.000	1 पक्का कुआ, 1 कच्चा तालाब 1 छेवला
50	पारवती बाई शान्तीबाई कौशिल्याबाई राजकुमारी सावित्रीबाई पुत्री बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/1	0.230	0.230	0.000	0.000	
51	प्रभा बाई पुत्री द्वारका प्रसाद पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/2	0.520	0.520	0.000	0.000	
52	भगवानदास पिता घासीराम जाति तिवारी पता हुराकुटगवां राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	275/1	1.390	1.350	0.000	0.040	1 नलकूप, 1 कच्चा कुआ 2 बेरी, 3 छेवला
53	रामशंकर बल्द घासीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	275/2	1.400	1.400	0.000	0.000	
54	जसरथ सींग पिता शमशेर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/1	0.960	0.950	0.000	0.010	1 पक्का कुआ 4 बेरी, 10 छेवला, 2 रेंजा, 1 सेमर
55	रंजनसिंह बल्द शमशेरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/2	0.780	0.780	0.000	0.000	
56	महेश पिता शमशेर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/3	0.960	0.000	0.950	0.010	
57	रूपसींग पिता शमशेर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277/4	0.950	0.950	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	हरनामसिंह वल्द ईश्वरसिंह सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/1	1.200	1.200	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 5 बेरी, 8 छेवला, 1 शो बबूल, 1 पीपल
59	माधव हरनाम पिता ईश्वरसिंग रामवती बेवा ईश्वरसिंग रामसखी शिवकुमारी पुत्री ईश्वरसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/2	1.520	1.520	0.000	0.000	
60	श्रीमति मीराबाई पत्नि भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/3	0.650	0.650	0.000	0.000	
61	भगवान बिहारी वल्द छिमाधर पता सा.चंदनहारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	284	0.790	0.000	0.750	0.040	
62	दिलीपसिंहपिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287/1	2.890	2.850	0.000	0.040	1 पक्का कुआ 4 छेवला, 2 बमूरा, 1 पीपल, 1 महुआ
			288/1	0.750	0.750	0.000	0.000	2 बेरी
			301/1	1.200	1.200	0.000	0.000	
63	ओमप्रकाश पिता दरयावसिंह पता सा. चन्दनहारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287/2	1.000	1.000	0.000	0.000	
			288/2	0.720	0.700	0.000	0.020	
			301/2	1.170	1.150	0.000	0.020	
64	छिमाधर खेमचन्द वल्द अमोली साहू पता निवासी चन्दनहारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	287/382	0.140	0.140	0.000	0.000	1 पक्का कुआ
65	बद्रीप्रसाद रमेश श्रीगोविंद पूरनसिंग पिस.खिलान सींग गुलाबरानी बेवा खिलानसींग शिवराजसिंग नारायणसींग गहरगोविंद गजराजसिंग पिस. गुलाबसिंग पता सा.हिन्नौतिया कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	289/1	0.700	0.630	0.000	0.070	3 बेरी, 4 छेवला, 1 बमूरा
			299/1	0.520	0.520	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	शिवा बल्द ओमप्रकाश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	289/2	1.950	1.950	0.000	0.000	2 बेरी, 10 छेवला, 1 बमूरा, 1 रुसल्ला
67	राजकुमार पिता बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी नरेंद्र पिता बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी शिवराज पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/8 भाग भूमिस्वामी नारायण पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/8 भाग भूमिस्वामी हरगोविंद पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/8 भाग भूमिस्वामी गजराज पिता गुलाबसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/8 भाग भूमिस्वामी रानी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी दीपकुमारी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी कृष्णकुमारी पुत्री बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी जनकरानी बेवा बद्रीप्रसाद पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/60 भाग भूमिस्वामी रमेश पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी गोविन्द पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी पूरन पिता खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी गुलावरानी बेवा खिलानसिंह पता हनौतियाकला राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	289/3	0.970	0.950	0.000	0.020	
			299/2	0.970	0.950	0.000	0.020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	दयाचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	290	1.010	1.000	0.000	0.010	1 पक्का कुआ, 1 नलकूप 1 बेरी, 1 बमूरा
			291/1	1.120	1.120	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 9 अमरुद, 1 बेरी, 4 छेवला, 1 रुसल्ला
			296/2/1	0.580	0.560	0.000	0.020	1 पक्का कुआ
69	रूपेश पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	297	0.220	0.000	0.200	0.020	
			296/1/3	0.780	0.780	0.000	0.000	
70	डालचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	291/2	1.510	0.000	1.510	0.000	
			296/1/1	0.610	0.610	0.000	0.000	
			296/2/2	0.600	0.590	0.000	0.010	1 नलकूप
71	भागचंद पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	291/3	1.510	0.000	1.470	0.040	
			296/2/3	0.600	0.000	0.600	0.000	
			296/1/2	0.610	0.610	0.000	0.000	1 पक्का कुआ 2 बेरी, 2 छेवला, 2 बमूरा
72	पुष्पा पुत्री कोमलचंद जैन पता सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी खुशीबाई पुत्री कोमलचंद जैन पता राधेश्याम भवन के पास तुलसी नगर वार्ड 19 तुलसी नगर वार्ड 19 सागर सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	292/1/1	0.110	0.000	0.110	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	राजेश कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता गोल कुआ के पास सूबेदार वार्ड गोल कुआ के पास सूबेदार वार्ड सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	292/1/2	0.260	0.000	0.260	0.000	
			294/1	0.520	0.000	0.518	0.002	2 बेरी, 2 छेवला
74	राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता वार्ड न 10 अजंता टाकीज के सामने गड्डोईपुर रायसेन म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	294/2	0.780	0.000	0.778	0.002	
75	विजय कुमार जैन पुत्र कोमलचंद जैन पता वार्ड न 17 टीचर कॉलोनी टीचन कॉलोनी रायसेन म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	294/3	0.780	0.000	0.777	0.003	
76	प्रकाश चंद पुत्र कोमलचंद जैन पता गोल कुआ मार्ग वर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड वर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	294/4	0.780	0.000	0.777	0.003	
77	कीर्ति पत्नी दीपक जैन पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	292/2	0.540	0.540	0.000	0.000	
78	वर्षा पुत्री राजीवकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी आकांक्षा पुत्री सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अनुराम नाबा पुत्र सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अर्पित नाबा पुत्र सुशीलकुमार पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/1/4	1.200	1.200	0.000	0.000	
79	मनोज पुत्र पूरनचंद पता राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	296/1/5	2.710	2.710	0.000	0.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	शिवराजसिंह वल्द गुलाबसिंह पता सा.हिनौतिया कलां भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	298	0.210	0.210	0.000	0.000	
81	नेत्रपालसिंह पिता विरेंद्र सिंह पता सा.चंदनहारी भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	303	3.820	3.800	0.000	0.020	1 पक्का कुआ 2 बेरी, 2 छेवला, 3 बमूरा, 1 उमर, 1 रेजा
82	रागिनी पति राजेन्द्रकुमार पता सा.परासरी कलां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304	0.280	0.250	0.000	0.030	
			305/3	1.680	1.650	0.000	0.030	
83	राजवर्धन ना वा वल्द वली राजेन्द्र कुमार पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	305/1	1.300	1.300	0.000	0.000	
84	आदर्श ना वा वल्द वली जितेन्द्रकुमार पता सा.परासरी कला भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	305/2	1.310	1.300	0.000	0.010	1 पक्का कुआ
85	सुधा पति जितेन्द्र कुमार पता निवासी परासरीकला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	305/4	1.960	1.960	0.000	0.000	
86	रघुवीरसिंह पुत्र मूरतसिंह पता कल्यानपुर बेगमगंज रायसेन म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	306/1	0.120	0.000	0.095	0.025	
87	कमलसिंह पुत्र रघुवीरसिंह पता कल्यानपुर बेगमगंज रायसेन म0प्र0 1/1 भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	306/2	1.930	1.905	0.000	0.025	1 पक्का कुआ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	श्रीराम पिता अजदीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री अजदीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी इन्द्रा पुत्री अजदीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी मल्ली पुत्री अजदीप्रसाद पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/5 भाग भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी दीपेश पिता मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी बेनी पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी उर्मिला पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री मकुन्दी पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/35 भाग भूमि स्वामी हर्षित पिता गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/40 भाग भूमि स्वामी लाली पुत्री गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/40 भाग भूमि स्वामी मिली पुत्री गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/40 भाग भूमि स्वामी विनोदबाई बेवा गनपत पता हुराकुटगवां राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/40 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	308	0.420	0.000	0.400	0.020	
89	भागवतीबाई जोजे साहबसींग पता सा.भूरेरू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	309	0.450	0.450	0.000	0.000	
			310	0.230	0.230	0.000	0.000	1 बेरी
			311	0.230	0.000	0.200	0.030	
			124	108.660	71.765	15.144	1.060	

सं.

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

स.क्र.	भू-धारक का विवरण	मकान धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित संपत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब
1	2	3	4	5	6	7
1	भागचंद पिता पूरनचंद	भागचंद पिता पूरनचंद	291/3	कच्चा कमरा, मिट्टी पत्थर की जुड़ाई	135.00	निरंक

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12, 7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस/31/1761/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।
तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:-

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रुपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।
तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रुपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रुपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि में फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने क दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो 5.00 (पांच) लाख एक मुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

(iii) परिवार से आशय:- (i) शादी शुदा का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 25/02/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 26-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-628

सागर, दिनांक 27 जनवरी 2022

मौजा मुदरा जरूआखेडा पट.ह.नं.-01 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण-॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा मुदरा जरूआखेडा पटवारी हल्का नंबर-05 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 234, 232, 231, 230/1, 230/4, 230/5, 229, 174, 175, 177/1, 177/2, 178, 180 में से कुल रकवा 1.1562 हे०. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र.0016/अ-82/2021-22 ग्राम मुदरा जरूआखेडा तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना
2	लोक प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से गात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा
3	स्थल	ग्राम मुदरा जरूआखेडा पट.ह.नं.-01 तहसील सागर
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 1.1562 हे. अशासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि निश्चयन सहित	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता /निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा।
7	परियोजना निर्माण के चरण	रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम मुदरा जरूआखेडा की 1.1562 हे. भूमि
10	भूमि का मूल्य	ग्राम मुदरा जरूआखेडा की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 1.1562 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 1120000-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 660000-00 रुपये मात्र है।

11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	13																
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति - कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है।																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-	विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> जिनके सकल अर्जित हुए परिवारों की संख्या - <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															

14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? (ख) यदि नहीं - तो क्यों ?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा निरंक
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा। रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 0016 / अ-82 / 2021-22 ग्राम मुदरा जरूआखेडा तहसील सागर

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के संमान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है।
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	आतिरेकित उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

क्र. 28-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-629

मौजा सेमरा लूहूरिया पट.ह.नं.-07 तहसील सागर उपमुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा सेमरा लूहूरिया पटवारी हल्का नंबर-07 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 246/1, 249/1, 249/2, 250 में से कुल रकवा 0.655 हे0. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र.0015 / अ-82 / 2021-22 ग्राम सेमरा लूहरिया तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना.																
2	लोक प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा																
3	स्थल	ग्राम सेमरा लूहरिया पट.ह.नं.-07 तहसील सागर																
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 0.655 हे. अशासकीय भूमि																
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है																
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता / निर्माण II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा।																
7	परियोजना निर्माण के चरण	रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण																
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।																
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम सेमरा लूहरिया की 0.655 हे. भूमि																
10	भूमि का मूल्य	ग्राम सेमरा लूहरिया की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.655 हे का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 1027200-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 513600-00 रुपये मात्र है।																
11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	04																
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति - कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है।																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-	<p align="center">विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">जिनके नकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण	निरंक																

15	(ख) समाघातों की संकेतक सूची विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?	निरंक अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा
16	(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? निष्कर्ष	निरंक लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा। रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 0015/अ-82/2021-22 ग्राम सेमरा लूहरिया तहसील सागर

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है।
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

क्र. 27-अ-82-21-22-मू-अर्जन-22-630

मौजा तोड़ा गौमतियां पट.ह.नं.-05 तहसील सागर
उपमुख्य अभियंता निर्माण-॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा तोड़ा गौमतियां पटवारी हल्का नंबर-05 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 333/1, 333/2, 333/3, 334, 336/1, 336/2, 338, 340/1, 340/2, 346, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 347/1, 349/4, 349/1, 352/1 से कुल रकवा 1.5027 हे०. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।
संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 0014/अ-82/2021-22 ग्राम तोड़ा गौतमिया तहसील सागर

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना
2	लोक प्रयोजन	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा
3	स्थल	ग्राम तोड़ा गौतमिया पट.ह.नं.-05 तहसील सागर
4	परियोजना का क्षेत्र	निजी भूमि 1.5027 हे. अशासकीय भूमि
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता /निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल द्वारा किया जावेगा।
7	परियोजना निर्माण के चरण	रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम तोड़ा गौतमिया की 1.5027 हे. भूमि
10	भूमि का मूल्य	ग्राम तोड़ा गौतमिया की वर्ष 2021-22 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 1.5027 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 668800-00 रुपये, मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 334400-00 रुपये मात्र है।

11	प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)	19																
12	परिसंपत्तियां	लोक संपत्ति - कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है।																
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-	विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या - <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.जा.</th> <th>अ.ज.जा.</th> <th>अन्य</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	0	0	0	0
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग															
0	0	0	0															
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण	निरंक																

	(ख) समाघातों की संकेतक सूची	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा
	(ख) यदि नहीं - तो क्यों ?	निरंक
16	निष्कर्ष	लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा। रेल मार्ग निर्माण हेतु भू-धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है।

अ.वि.अ.सागर प्र.क्र. 0014/अ-82/2021-22 ग्राम तोड़ा गौतमिया तहसील सागर

प्ररूप-ग
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं है
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं है
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन	प्रभावित नहीं है
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं है
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं है
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	प्रभावित नहीं है अपितु जलाशय निर्माण से जल की उपलब्धता बढ़ेगी
7	सामुदायिक तालाब	प्रभावित नहीं है
8	जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान	उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है।
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है

क्र. 19-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-652

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम

: हिलगन जलाशय डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

जिला : सागर
 तहसील : सागर
 ग्राम : बेलई माफी
 पट.ह.नं.- : 111
 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.594 हे.

स. क.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण हे. मे			प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	2	3	4					9
1	यशोदाबाई पत्नि अमोलसिंग दांगी साकिन हिलगन	भूमिस्वामी	133/2	0.960	0.074	0.000	0.000	निरंक
2	प्रभाबाई देवा हीरासिंह जीरेन्द्र समरेन्द्र पिता हीरासिंह सतेन्द्र नाबालिग वल्द हीरासिंह वली माँ प्रभाबाई निवासी ग्राम हिलगन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	8/3	0.520	0.520	0.000	0.000	निरंक
Total			02	1.480	0.594	0.000	0.000	

2- प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

3- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/02/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-दो सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रा. प्र क्र. 01-अ-82-2021-2022-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 जनवरी 2022

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई 04.60 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई 04.60 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम— चारनखापा, प0ह0न0-22 ब0न0-84, रा0नि0म0- अमरवाड़ा-2	1. कुसुम बेवा चन्द्रभूषण, अजय कुमार, मनोज कुमार, मनीष कुमार, संदीप कुमार पिता चन्द्रभूषण जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी 2. कलियां बाई बेवा ज्ञानी, सेवाराम, मुकेश, सुहागाबाई, सुगवा बाई, सुकरती बाई	149/1, 150/1, 170 169, (151, 152)	0.050 0.050 0.048 0.048	बालकछार से चारनखापा मार्ग लम्बाई 04.60 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

			पिता ज्ञानी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी		
			3. रामप्रकाश पिता निर्मल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	190/1	0.003
			4. बंदल बाई बेवा निर्मल, रामभरोस, रामस्वरूप, रामप्रकाश पिता निर्मल, धनवती बाई, कलावती बाई पिता निर्मल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	190/2 189/3	0.003 0.012
			5. संदीप, सतीश, सरविन पिता रामभरोस जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	190/3, 189/2	0.003 0.004
			6. रामस्वरूप पिता निर्मल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	190/4, 189/1	0.003 0.004
			7. तारा चौधरी बेवा कृष्णभूषण, जितेन्द्र, शैलेन्द्र, वर्षा जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	149/2, 150/2	0.027
			8. देवकी बाई पति गौरी जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	149/3, 150/3	0.048
			9. तिज्जो पति विग्घुचंद जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	148/5	0.020
			10. मुंशीराम पिता चैतराम जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	184/2, 185/3, 186/3 163/7	0.025 0.005

			11. राजकुमारी पति देवलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	184/6, 185/2, 186/2 188	0.003 0.012	
			12. गुरुप्रसाद पिता चैतराम जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	184/7, 185/1, 186/1 163/8	0.020 0.018	
			13. निर्जला बेवा पुरनलाल, उमेश, चंचलेश पिता पुरनलाल, ललिता बेवा पूनाराम, रोहित, रोशनी, चांदनी पिता पूनाराम, निवासी ग्राम भूमिस्वामी	164/1	0.040	
			14. डालचंद वल्द गोदान जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	122/1	0.100	
			15. मकल पिता सामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	177/1 /ट	0.015	
			16. मेहताप पिता पिल्ले, गुमता बेवा पिल्ले जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	99/2	0.020	
			17. शिवकुमार पिता बाबूलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/3	0.006	
			18. जियनलाल, मुवनलाल, सुरेश कुमार पिता दीपचंद, रामाधार पिता प्रेमलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	117	0.004	

			19. वात्सला पति भारतभूषण जाति कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	66/2	0.012	
			20. कमलसी पिता सिमत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	67/3/ क, 67/3/ ग	0.024 0.006	
			21. मनोहर, विनोद, अशोक पिता देवलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	163/2	0.006	
		कुल योग		21	0.639 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 01-भू-अर्जन-2022-1088

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2021-2022 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम माधोपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)
1	माधोपुरा	0.474
कुलयोग :-		0.474

-: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम माधोपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	प्रेमसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/1/1/1/1	0.224	0.005
	योग	1	0.224	0.005
2	भंवरलाल पिता अनारसिंह, शिवनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/1/1/3	0.582	0.030
	योग	1	0.582	0.030
3	रामनरेश पिता गोपीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम समेली	4/4/1	0.044	0.034
		4/5/1	0.065	0.059
	योग	2	0.109	0.093
4	हीरालाल पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/2/1	0.051	0.030
	योग	1	0.051	0.030
5	कुमेरसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/1/5/1	0.020	0.020
	योग	1	0.020	0.020
6	जगन्नाथ पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	38/2/5/1	0.153	0.053
	योग	1	0.153	0.053
7	विजयसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/2/1/1	0.045	0.030
	योग	1	0.045	0.030

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जनीय रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
8	गीताबाई पति नाथूलाल, जसवंत, जितेन्द्र पिता नाथूलाल, भूलीबाई पिता नरभेसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	10/179/1	0.026	0.016
	योग	1	0.026	0.016
9	रोड़जी पिता रायसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	75/1	0.320	0.020
	योग	1	0.320	0.020
10	सूरजसिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	81/1	0.050	0.050
	योग	1	0.050	0.050
11	भारतसिंह, घनश्याम, कालूसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	39/2	0.013	0.013
		39/195	0.051	0.051
	योग	2	0.064	0.064
12	श्यामबाई, प्रेमबाई पिता रोड़जी जाति काछी नि.ग्राम किशनपुरिया भू-स्वामी	93	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
	कुलयोग :-	14	1.707	0.474

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. जा.क्र.-1649-ए-09

राजगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2022

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम -मुण्डी (पुरक भूमि)		तहसील - जीरापुर		जिला राजगढ़	
क्रं.	विवरण	कुल रकबा		अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि (पुरक) 1. कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि	10.567		0.739	
	योग	10.567		0.739	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित कृषकों की सूची

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	98/3/1	0.430	0.076
	योग		0.430	0.076
2	दर्याव पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	150/3/2	1.264	0.022
	योग		1.264	0.022
3	कालूसिंह पिता हजारीलाल कालोबाई बेवा हजारीलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106/2/1	0.358	0.076
	योग		0.358	0.076
4	निर्मल कुमार देवकरण आ. विजयसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	108/5/2	1.000	0.046
	योग		1.000	0.046
5	मुमताजखा सरताजखा निजामखां पिता बाबूखा रेहाना बी पिता बाबूखा रहमतबी बेवा बाबूखां जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	133/2/2	1.250	0.160
	योग		1.250	0.160
6	भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	130/1/2/4	0.638	0.024
	योग		0.638	0.024
7	श्यामबाई कृष्णाबाई निर्मलाबाई सोरमबाई रेखाबाई पिता मांगीलाल जगदीश कारनसिंह नाबालिग पिता मांगीलाल संरक्षक माता शांतिबाई शांतिबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार पता रामनगर जीरापुर	118/2	0.475	0.115
	योग		0.475	0.115
8	श्यामलाल दयाराम पिता बरदीलाल मांगीबाई बेवा बरदीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2/7	1.388	0.095
	योग		1.388	0.095
9	देवीरिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	150/4/1	2.500	0.048
	योग		2.500	0.048
10	रामलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	147/3/4	1.264	0.077
	योग		1.264	0.077
	महायोग		10.567	0.739

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. भू-अर्जन-2021-22

दमोह, दिनांक 3 फरवरी 2022

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हथना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (i) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जोन पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : हथना पिपरिया मार्ग।

ग्राम का नाम : कौरासा 0.11 हे.,

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा
	कौरासा			
1	किश्चन मेडीकल एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	283/1	0.42	0.03 (असिंचित)
2	श्री शंकरलाल राय	283/2	0.43	0.02
3	श्री आशाराम, सुखलाल पिता बालकिशुन	307	0.80	0.02
4	श्री कमलेश, प्रवीण, गीरा, पिता सीताराम चमार शशि बेवा सीताराम चमार	339	0.40	0.01
5	श्री राजेन्द्र कुमार पिता बलराम ताम्रकार	341	0.26	0.01
6	श्री डोमल पिता मैरों	331/2	0.49	0.01
7	श्रीमति कीर्तिबाई जोजे लक्ष्मीनारायन	332	0.30	0.01
	योग :-			0.11

क्र. भू-अर्जन-2021-22

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क.12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण/लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हथना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जोन पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

योजना का नाम : कौरासा से पिपरिया हथना मार्ग का निर्माण कार्य।

ग्राम का नाम : हथना 0.04 हे.

क.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा
हथना				
1	श्रीमति. मुष्म. जोजे भोला लक्ष्मी जोजे हनुमान	562	0.63	0.01
2	श्री पहारी उर्फ भगवानदास पिता वन्दु उर्फ सुब्बी रजक	582/1	0.03	0.01 (असिंचित)
3	श्री प्रकाश, संजय, मोनू, संदीप पिता कलू और चंद्ररानी बेवा कलू	582/2	0.03	0.01 (असिंचित)
4	श्री भागीरथ पिता बिहारी, हल्काई, गनेश, अशोक, जगदेव, हल्ली, सुनीता, अंगूरी पिता हल्काई, गुलाबरानी बेवा हल्काई, सैयालाल पिता बालकिशुन, रूपरानी बेवा बालकिशुन	581	0.05	0.01 (असिंचित)
योग :-				0.04

क्र. भू-अर्जन-2021-22

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र.12-2-2014/सात/ए/मोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/लोक निर्माण विभाग संभाग दमोह के द्वारा तहसील दमोह के ग्राम हथना, पिपरिया दिगम्बर, कौरासा मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जेन पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम : हथना पिपरिया मार्ग।

ग्राम का नाम : पिपरिया दिगम्बर 0.61 हे.,

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
पिपरिया दिगम्बर					
1	श्री अमित पिता रामेगोविंद अरेले	79/2	0.40	0.03	
2	श्री नन्नु पिता चिन्टे कुर्मी	79/1 114/1/1	0.07 0.80	0.01 0.04 0.05	
3	श्री टेकचंद गोपाल पिता रतन लाल गिरिजा उर्फ गयाप्रसाद पुरषोत्तम पिता महादेव	84	0.22	0.01	
4	श्री चंदू मुन्नीलाल रामदयाल पिता लखनलाल रेखा पुत्री लखनलाल कौशल्यारानी देवा लखनलाल कुर्मी	85 86	0.06 0.44	0.01 0.04 0.05	
5	श्री दीपक, अनुसुईया, प्रियका, प्रीति पिता कच्छेदी	95/3	0.40	0.03	
6	श्री रामकरण पिता देवाराम	97	0.62	0.03	
7	श्रीमति लक्ष्मी पिता गोपीलाल, मुन्ना पिता अनदीलाल, उमेश पिता राजाराम	101/1	0.51	0.03	
8	श्री कड़ारी पिता नन्नु कुर्मी	102	0.40	0.03	
9	श्री देवाराम पिता चिन्टे कुर्मी	117/1	0.04	0.01	
10	श्रीमति शीलरानी पति बालमुकुंद	117/2 119	0.04 0.66	0.01 0.03 0.04	
11	श्रीमति प्रभादेवी पति देवेन्द्र कुमार	162/1	0.40	0.02	
12	श्री हमरत पिता गयाप्रसाद	163 198 199 200/2 201/21/3 201/23 201/25	0.52 0.40 0.51 0.15 0.28 0.28 0.10	0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07	
13	श्री मनोज पिता रमेश	189/1 190/3	0.80 0.24	0.02 0.01 0.03	
	श्री जोदिलाल-पिता रामकरण	190/1	1.09	0.01	
	श्री सुखचंद पिता पंचे साहू	190/2	0.48	0.03	
	श्री अनिल पिता घनीराम	191/2	1.24	0.02	
	श्री वृजलाल पिता रामवरन	191/1	1.27	0.03	
	श्रीमति विद्यारानी असाकरानी पति केशवप्रसाद कुर्मी	197/1	1.20	0.02	
	श्री नेकपाल सिंह पिता शंकर सिंह	200/1	0.04	0.01	
	श्री राजेश पिता भगवानदास	201/2/ क	1.60	0.04	
	श्री भूषण कन्हैयालाल बालमुकुंद मुन्गीलाल पिता दयाराम	63 219	1.57 0.16	0.01 0.01 0.02	
योग :-				0.61	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 2-अ-82-2020-21

सीहोर, दिनांक 9 फरवरी 2022

क्रमांक 2 /अ-82/2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची खाने (4) में वर्णित भूमि एवं खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

-: अनुसूची - 1 :-

-: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर / वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर / महुआखेड़ा	4111.57 वर्ग मीटर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम महुआखेड़ा के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील :- श्यामपुर

जिला - सीहोर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
1	भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह	20	1 (1)	183.04
2	सूरजसिंह पिता फतेसिंह		2 (2)	
3	कमला बाई पति विश्रामसिंह		3 (3)	
4	विजयसिंह पिता फतेसिंह		4 (4)	
5	जोधाराम पिता गजराज सिंह	20	2	85.56
6	गजराजसिंह पिता गंगाराम	20	3	175.07
7	भगवतसिंह पिता गंगाराम	20	4	74.71
8	हरिओम पिता भगवत सिंह	20	5	108.30
9	नेमसिंह पिता भगवतसिंह	20	6	84.48
10	हाकमसिंह पिता मोहसिंह	20	7	52.93

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
11	भारतसिंह पिता हजारीलाल	20	8	31.20
12	काशीराम पिता रामसिंह	20	9	24.05
13	सविताबाई पति हांकेमसिंह	20	10	60.80
14	शंकरसिंह पिता जगन्नाथ	20	11 (1)	24.00
15	रतनसिंह पिता मोहरसिंह	20	11 (2)	37.2
16	सुन्दर पिता भगवतसिंह	20	12	53.80
17	मोहरसिंह पिता मोहनलाल	20	13	100.68
18	ग्यारसीबाई पति मोहनलाल	20	14	41.76
19	हेमसिंह पिता जगन्नाथ	20	15	18.00
20	मेहरवानसिंह पिता हजारी लाल	20	16 (1)	37.24
21	बापूलाल पिता जगन्नाथ	20	16 (2)	149.00
22	भूरसिंह पिता कालूराम	20	17	25.84
23	हरिसिंह पिता कालूराम	20	18	53.82
24	पर्वतसिंह पिता कालूराम	20	19	42.78
25	विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह	20	20	58.14
26	जगदीश पिता कचनसिंह	20	21	37.10
27	फूलसिंह पिता मुंशीलाल	20	22	49.92
28	कानीराम पिता जगन्नाथसिंह	20	23	7.00
29	कृपालसिंह पिता सरजनसिंह	20	24	114.94
30	रंगलाल पिता मुंशीलाल	20	25	41.92
31	शिवनारायण पिता जगन्नाथ	20	26	42.34
32	रामबाबू पिता जगन्नाथ	20	27	35.59
33	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	28	40.80
34	जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह	20	29	52.36
35	दीपसिंह पिता गनपतसिंह	20	30 (1)	47.52
36	जगदीश पिता गनपतसिंह	20	30 (2)	
37	विजयसिंह पिता फतेसिंह	20	31	41.54
38	लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह	20	32	66.56
39	पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ	20	33	31.50
40	अजादसिंह पिता हीरालाल	20	34	145.72
41	सम्पत बाई पति हीरालाल	20	35	88.80
42	गजराजसिंह पिता बलराम	20	36	58.82
43	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	37	70.25
44	हरिसिंह पिता चैनसिंह	20	38	81.60
45	सुगनबाई पति दयालसिंह	20	39 (1)	142.50
46	काशीराम पिता मांगीलाल		39 (2)	
47	जसवंत पिता मांगीलाल		39 (3)	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
48	भजनसिंह पिता मांगीलाल		39 (4)	
49	बनेसिंह पिता मांगीलाल		39 (5)	
50	भजनसिंह पिता मांगीलाल	20	40	72.45
51	बनेसिंह पिता मांगीलाल	20	41	39.69
52	हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह	20	42	62.64
53	काशीराम पिता मांगीलाल	20	43	42.70
54	मोहरसिंह पिता कनीराम	20	44	86.90
55	सवित्रिबाई पति सुरजसिंह	20	45	23.76
56	सुन्दरसिंह पिता काशीराम	20	46	116.20
57	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह	20	47	62.70
58	विक्रमसिंह पिता चैनसिंह	20	48	161.90
महुआखेड़ा पुरा				
1	सुमित्रा बाई पति कल्याणसिंह	94/40	1	52.93
2	गुलाब बाई पति हजारीलाल	94/40	2	44.89
3	संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह	94/40	3	55.35
4	श्यामबाई पिता कल्याणसिंह	94/40	4	26.04
5	आनन्दीबाई पति रायसिंह	94/40	5	120.75
6	राधेश्याम पिता नारायणसिंह	94/40	6	66.83
7	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह	94/40	7	68.10
8	चम्पाबाई पति रामबगस	94/40	8	40.19
9	अजुनसिंह पिता मोतिलाल	94/40	9	25.02
10	कल्याणसिंह पिता हजारीलाल	94/40	10	41.10
11	सुरेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह	94/40	11	44.22
12	कनीराम पिता अमरसिंह	94/40	12	71.50
13	कमलसिंह पिता अमरसिंह	94/40	13	66.54
योग -				4111.57

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. 4-अ-82-2020-21

सीहोर, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक 4 /अ-82/2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची खाने (4) में वर्णित भूमि एवं खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-

-: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/रावतखेड़ा	भूमि- 4.064 हैं. मकान- 7459.02 वर्गमीटर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रावतखेड़ा के आबादी में स्थित मकानों एवं निजी भूमि/मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील :- श्यामपुर

जिला - सीहोर

भूमि

स.क.	सर्वे नंबर	कुल रकबा (है.)	प्रभावित रकबा (है.)
1	2	3	4
1	79/3	0.339	0.098
2	62/2	0.575	0.204
3	166/1	1.465	0.122
4	166/2	1.619	0.102
5	79/7	0.202	0.202
6	166/3	0.558	0.202
7	147/2	1.060	0.100
8	9/1, 10, 11	0.137	0.137
9	9/2, 10, 11	0.032	0.032
10	13	0.024	0.024
11	14	0.065	0.065

12	16	0.020	0.020
13	17	0.036	0.036
14	18	0.049	0.049
15	19	0.053	0.053
16	20/1	0.032	0.032
17	20/2	0.036	0.036
18	20/3	0.036	0.036
19	21/1	0.971	0.060
20	21/2	0.097	0.060
21	21/3	0.101	0.060
22	21/4	0.101	0.060
23	22	0.109	0.060
24	23	0.117	0.117
25	24/1	0.150	0.075
26	24/2	0.073	0.036
27	24/3	0.024	0.012
28	24/4	0.024	0.012
29	24/5	0.029	0.012
30	207/56/2	0.235	0.235
31	207/56/3	0.416	0.416
32	112/2	0.255	0.255
33	162/3	0.571	0.080
34	152/5	0.202	0.202
35	147/1	1.113	0.050
36	147/4	0.097	0.015
37	4/2	1.214	0.408
38	25/2	0.230	0.230
39	26	0.045	0.045
40	28/2	0.089	0.030
41	44/1/1	0.057	0.033
42	193/12	0.049	0.049
	कुल रकबा -	13.058	4.064

आबादी मे स्थित मकान

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम	12	1	32.24
2	कोमलबाई पति परसुराम	12	2	95.12
3	गंगाराम पिता चुन्नीलाल	12	3	80.40
4	जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ	12	4	125.24
5	शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह	12	5	44.45
6	प्रवीणसिंह पिता प्रकाश	12	6	52.25

सं.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
7	प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	7	105.10
8	ओमप्रकाश पिता प्रहलाद	12	8	26.18
9	लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह	12	9	137.20
10	ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह	12	10	235.30
11	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	11	280.78
12	गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह	12	12	88.45
13	भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह	12	13	97.99
14	गोपाल पिता भोनीप्रकाश	12	14	54.84
15	कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश	12	15	59.13
16	बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह	12	16	75.56
17	गोविन्द पिता सजनसिंह	12	17	109.02
18	महेन्द्रपाल पिता अन्तरसिंह	12	18	165.72
19	देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	12	19	89.61
20	जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल	12	20	63.19
21	तंवरलाल पिता भंवरलाल	12	21	24.48
22	पिकूसिंह पिता भंवरलाल	12	22	87.60
23	जालमसिंह पिता सैतानसिंह	12	23	58.10
24	भंवरलाल पिता जालमसिंह	12	24	119.00
25	भंवरलाल,किशोरसिंह पिता रघूनन्दन	12	25	81.80
26	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	12	26	89.69
27	स्वरूपकुंवर पति श्यामसिंह	12	27 (1)	70.22
28	चतरभान पिता श्यामसिंह	12	27 (2)	70.22
29	विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल	12	28	25.50
30	राजपाल पिता मांगीलाल	12	29	25.50
31	जीवनसिंह पिता मांगीलाल	12	30	31.68
32	राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह	12	31	65.95
33	मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह	12	32	26.13
34	संतोष कुंवर पति देवीसिंह	12	33	24.32
35	जगदीश पिता चंदरसिंह	12	34	24.57
36	हर्षकुंवर पति चंदरसिंह	12	35	24.00
37	हिंदूसिंह पिता चंदरसिंह	12	36	79.94

सं.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
38	सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह	12	37	44.77
39	श्यामकुंवर पति सरदारसिंह	12	38	100.63
40	दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी	12	39	45.80
41	नरेन्द्र पिता दिनेश	12	40	85.80
42	मांगीलाल पिता अनारसिंह	12	41	86.70
43	मोहनसिंह पिता रामदयाल	12	42	66.20
44	मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह	12	43	100.56
45	बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश	12	44	19.80
46	चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह	12	45	68.68
47	नरायणसिंह पिता रामनाथ	12	46	41.54
48	तवरं कवरं पति हुकमसिंह	12	47	113.36
49	महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह	12	48	101.31
50	अंतरसिंह पिता साजनसिंह	12	49	49.80
51	जुगनकवरं पति साजनसिंह	12	50	51.59
52	बालाराम पिता बिष्णुनाथ	12	51	51.98
53	विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह	12	52	56.60
54	राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ	12	53	56.60
55	कपालसिंह पिता बिष्णुनाथ	12	54	93.05
56	मांगीलाल पिता शंकरसिंह	12	55	219.70
57	भवरलाल पिता मोतिसिंह	12	56	83.24
58	राजेन्द्र, विक्रम पिता मोतिसिंह	12	57	191.66
59	मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह	76/1	70	68.64
	योग -			4744.48

निजी भूमि में स्थित मकान

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
1	हरदयाल पिता तेजसिंह	9/1, 10, 11	18	31.74
2	लाडसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1, 10, 11	19	128.59
3	लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह	9/1, 10, 11	20	37.60
4	रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह	9/1, 10, 11	21	83.30

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
5	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह	9/1, 10, 11	22	28.21
6	मोतीसिंह पिता तेजसिंह	9/1, 10, 11	23	149.47
7	जगदीश पिता समन्दरसिंह	9/2, 10, 11	24	176.71
8	इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह	9/2, 10, 11	25	113.13
9	तेजसिंह पिता गोविन्दसिंह	9/2, 10, 11	26	61.06
10	कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह	9/2, 10, 11	27	45.15
11	हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह	19	31	148.89
12	विजय पिता भोलाराम	20/3	32	34.71
13	हरिप्रसाद पिता भोलाराम	20/3	34	45.60
14	प्रमोद पिता देवीराम	20/2	36	59.76
15	मुकेश पिता भोलाराम	20/3	37	22.80
16	देवीराम पिता धन्नालाल	20/2	38	20.88
17	आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद	23	39	32.00
18	लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल	23	40	72.25
19	ओमप्रकाश पिता बलराम	24/1	41	37.61
20	जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह	24/1	42	33.97
21	गोपालसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43(1)	23.56
22	प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह	24/1	43(2)	23.56
23	दीपसिंह पिता पदमसिंह	24/1	44	36.48
24	आनंदसिंह पिता दीपसिंह	24/1	45	123.18
25	रघुनन्दन पिता दीपसिंह	24/1	46	39.01
26	धनराजसिंह पिता दीपसिंह	24/1	47	96.73
27	डूगरसिंह पिता दीपसिंह	24/1	48	108.99
28	मांगीलाल, देवीसिंह पिता शम्भूसिंह	25/2	49	136.15
29	शिवसिंह पिता तेजसिंह	26	50	102.69
30	कमलसिंह पिता शिवसिंह	26	51	181.46

सं.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
31	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	28/2	52	46.10
32	गोविन्द सिंह पिता प्यारसिंह	28/2	53	65.93
33	जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह	28/2	54	90.42
34	संतोष पिता बाबूलाल	193/12	73	53.57
35	कैलाश पिता लालजीराम	193/12	74	18.00
36	राजेश पिता बट्टीप्रसाद	193/12	75	53.90
37	राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह	74/1	76	118.58
38	प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह	29	77	32.80
				2714.54

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 1123-ए-14-अ-82-2021-22

धार, दिनांक 15 फरवरी 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु ग्राम मालपुरा तह. डही जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) कि धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

अनुसूची (1)

ग्राम मालपुरा तहसील डही जिला धार :-

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु	2.644	0.016	2.660

अनुसूची (2)

माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु ग्राम मालपुरा तह. डही जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गोमा, कैलाश, ईकराम, सुखराम पिता शंकर व मीराबाई बेवा शंकर जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	172	0.850	0	0.850	0.480	0	0.480
2	सुनिल पिता कुवरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	173/1	0.340	0	0.340	0.150	0	0.150
		149/1/6/1	0.099		0.099	0.099	0	0.099
	झेतरीबाई पति जामसिंह जाति भीलाल निवासी ग्राम मालपुरा	170	0.599	0	0.599	0.180	0	0.180

4	कालु पिता गमरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	169/2	0.129	0	0.129	0.100	0	0.100
5	बुदीया पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी मालपुरा	149/1/5	0.372	0	0.372	0.372	0	0.372
6	सोमला पिता लटीया जाति भीलाल निवासी ग्राम मालपुरा	168/6	0.205	0	0.205	0.100	0	0.100
7	दला पिता लटीया जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	168/7	0.155	0	0.155	0.075	0	0.075
8	सागरसिंह पिता धुन्डरा जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	149/1/6/2	0.099	0	0.099	0.099	0	0.099
9	केशरबाई, दितला, बुदला, पिरला, मालसिंह, रायदाबाई, रुदा पिता सुरला, कमल, कालु, बंदरी पिता ईडा, जानकीबाई बेवा ईडा जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	168/5	0.783	0	0.783	0.400	0	0.400
10	सुभान पिता गमता जाति भीलाल निवासी ग्राम भिलाला	149/1/4	0.219	0	0.219	0.219	0	0.219
11	भुवानसिंह पिता भिल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	149/1/3	0	0.016	0.016	0	0.016	0.016
12	रमेश, नानसिंह पिता सुभान गोमतीबाई बेवा सुभान जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	149/1/2	0.486	0	0.486	0.250	0	0.250
13	गेनसिंह, भीमसिंह, बोदरीबाई पिता सुरला रमतुबाई बेवा सुरला जाति भीलाला निवासी ग्राम मालपुरा	151/3 153/3	0.263 0.085	0 0	0.263 0.085	0.080 0.040	0 0	0.080 0.040
कुल योग :-		15	4.700	0	4.700	2.644	0.016	2.660

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 फरवरी 2022

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम - बनहरीकलां
(घ) क्षेत्रफल- 12042.45 वर्गमी0 (मकान 157)

स. क्र०	खसरा क्रमांक	भूमि का प्रकार	मकान मालिक, पिता / पति का नाम	कुल अर्जित मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी०) में
1	2	3	4	5
1	2	म०प्र० शासन बंजर	कामता पिता स्वामीदीन कौंदर	20.48
2	6/1	म०प्र० शासन बंजर	भूय पिता चुनवाद कौंदर	23.10
3	33	म०प्र० शासन बंजर	हरी पिता रम्मू आदिवासी	22.94
4	34	म०प्र० शासन रस्ता	रमेश कुमार गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता	90.88
5	34	म०प्र० शासन रस्ता	लखन पिता मलखान आदिवासी	58.72
6	34	म०प्र० शासन रस्ता	धनीराम , हद्दू भवानीदीन ज्ञानी इन्द्रपाल पिता रतीराम आदिवासी	95.86
7	34	म०प्र० शासन रस्ता	हरी पिता रम्मू आदिवासी	75.60
8	34	म०प्र० शासन रस्ता	मोहन पिता रम्मू आदिवासी	27.50
9	34	म०प्र० शासन रस्ता	श्याम लाल पिता गजराज आदिवासी	57.60
10	34	म०प्र० शासन रस्ता	बकू पिता गजराज आदिवासी	18.20
11	34	म०प्र० शासन रस्ता	गोकुल पिता गजराज आदिवासी	20.15
12	34	म०प्र० शासन रस्ता	मिर्चलाल पिता गजराज आदिवासी	20.41
13	34	म०प्र० शासन रस्ता	लाले पिता सुखइयां कौंदर	82.00
14	34	म०प्र० शासन रस्ता	कुजबिहारी पिता पुरन कौंदर	47.46
15	34	म०प्र० शासन रस्ता	मुल्लु पिता रम्मू आदिवासी	43.55
16	34	म०प्र० शासन रस्ता	ठकुरदीन पिता रामसाह आदिवासी	19.72
17	34	म०प्र० शासन रस्ता	रामा पिता सजीवन रजक	19.14
18	34	म०प्र० शासन रस्ता	रामविशाल पिता सोनेलाल रजक	75.37
19	34	म०प्र० शासन रस्ता	लखपति पिता सोने लाल रजक	43.37
20	43/1	म०प्र० शासन बंजर	नथू पिता सिंघई कौंदर	99.40
21	43/1	म०प्र० शासन बंजर	ठकुरदीन पिता सिंघई कौंदर	134.45

22	53	म0प्र0 शासन बंजर	बाबूलाल पिता पूरन रजक	97.47
23	53	म0प्र0 शासन बंजर	रजवा पिता पूरन रजक	63.97
24	53	म0प्र0 शासन बंजर	गोकुल पिता पूरन रजक	77.05
25	53	म0प्र0 शासन बंजर	ठल्के पिता पूरन रजक	78.68
26	53	म0प्र0 शासन बंजर	रामधनी पिता पूरन रजक	80.97
27	53	म0प्र0 शासन बंजर	सरजू पिता मुल्ला यादव	64.11
28	86	म0प्र0 शासन बंजर	ठकुरदीन पिता रामअवतार यादव	86.90
29	108	म0प्र0 शासन बंजर	बबू पिता लक्ष्मी यादव	32.19
30	110	म0प्र0 शासन बंजर	ठकुरप्रसाद पिता मिल्ला यादव	11.10
31	110	म0प्र0 शासन बंजर	सालिकराम पिता मिल्ला यादव	9.60
32	110	म0प्र0 शासन बंजर	मिल्ला पिता कडोय यादव	4.67
33	130/1	म0प्र0 शासन बंजर	रामा पिता बन्दी यादव	96.60
34	170	म0प्र0 शासन आबादी	छोटेलाल पिता ईश्वरी कौंदर	64.80
35	170	म0प्र0 शासन आबादी	रज्जन, नेता राम पिता किशोरी लाल कौंदर	61.64
36	170	म0प्र0 शासन आबादी	राजाबाई पति शास्ता प्रसाद कौंदर	55.35
37	170	म0प्र0 शासन आबादी	परम पिता पुलइया कौंदर	113.62
38	170	म0प्र0 शासन आबादी	मन्नीलाल पिता लोक कौंदर	40.90
39	170	म0प्र0 शासन आबादी	महेश पिता दुर्जन आदिवासी	18.20
40	170	म0प्र0 शासन आबादी	दशरथ पिता श्यामलाल कौंदर	152.55
41	170	म0प्र0 शासन आबादी	रामखिलावन पिता दशरथ कौंदर	28.22
42	170	म0प्र0 शासन आबादी	चत्ती पिता बद्धू लाल कौंदर	24.96
43	170	म0प्र0 शासन आबादी	श्यामले पिता दरवारी लाल आदिवासी	62.34
44	170	म0प्र0 शासन आबादी	हरप्रसाद पिता धनियां आदिवासी	76.41
45	170	म0प्र0 शासन आबादी	सीताराम पिता हरप्रसाद आदिवासी	49.83
46	170	म0प्र0 शासन आबादी	बबलू पिता हरप्रसाद आदिवासी	35.91
47	170	म0प्र0 शासन आबादी	भगवानदास पिता हरप्रसाद आदिवासी	26.60
48	170	म0प्र0 शासन आबादी	पपू पिता गनपत कौंदर	35.96
49	170	म0प्र0 शासन आबादी	गनपत पिता मखना कौंदर अखलेश पिता गनपत कौंदर	159.76
50	171	म0प्र0 शासन बंजर	लखन पिता मलखान कौंदर , राम भरोसे पिता मंगला कौंदर	42.74
51	171	म0प्र0 शासन बंजर	मंझली वेबा रामदास आदिवासी	28.20
52	171	म0प्र0 शासन बंजर	प्रेमीलाल, पपू, बृजेश पिता नथू अदिवासी	171.00
53	171	म0प्र0 शासन बंजर	रुीराम पिता श्यामलाल अदिवासी	81.74
54	171	म0प्र0 शासन बंजर	सुखइयां पिता मरिया , पूरन मनीराम पिता सुखइयां कौंदर	81.63
55	171	म0प्र0 शासन बंजर	बाबूलाल पिता रम्मू अदिवासी	24.90
56	171	म0प्र0 शासन बंजर	शान्ति बेवा ईश्वरी अदिवासी	28.85
57	171	म0प्र0 शासन बंजर	दशरथ पिता अब्दु कौंदर, रामसनेही, कूपाल, राजाराम पिता घासीराम कौंदर	30.36
58	172	म0प्र0 शासन आबादी	बल्ली पिता माधव आदिवासी	10.40
59	172	म0प्र0 शासन आबादी	जौहरी कौंदर पिता सरिया कौंदर	81.26
60	172	म0प्र0 शासन आबादी	माहिल, सुखलाल पिता कल्लू कौंदर	94.58
61	172	म0प्र0 शासन आबादी	श्रीमती कमला पति पकुआ कौंदर	8.68
62	172	म0प्र0 शासन आबादी	श्याम बाई कौंदर पति कल्लू कौंदर	27.90
63	172	म0प्र0 शासन आबादी	आशाराम पिता भूय आदिवासी	64.54
64	172	म0प्र0 शासन आबादी	विश्वनाथ पिता भूय आदिवासी	38.08
65	172	म0प्र0 शासन आबादी	किशोरी लाल पिता मखना आदिवासी	97.28
66	172	म0प्र0 शासन आबादी	दीना उर्फ दीनदयाल पिता सिद्धा आदिवासी	103.99
67	172	म0प्र0 शासन आबादी	पपू पिता गनपत कौंदर	61.20
68	172	म0प्र0 शासन आबादी	कामता पिता स्वामीदीन आदिवासी	97.64

69	172	म0प्र0 शासन आबादी	स्वामीदीन पिता मखना आदिवासी	25.80
70	172	म0प्र0 शासन आबादी	परमलाल पिता स्वामीदीन कौंदर	68.67
71	172	म0प्र0 शासन आबादी	रमेश आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी	53.08
72	172	म0प्र0 शासन आबादी	आजाद रानी पति मोतीलाल कौंदर	16.61
73	172	म0प्र0 शासन आबादी	लोका पिता मंगला आदिवासी	15.84
74	172	म0प्र0 शासन आबादी	राजाराम पिता लोका कौंदर	52.83
75	172	म0प्र0 शासन आबादी	मन्नी लाल आदिवासी पिता लोका आदिवासी	27.30
76	172	म0प्र0 शासन आबादी	हरदास पिता लोका कौंदर	46.94
77	172	म0प्र0 शासन आबादी	नारायण कौंदर पिता लोका कौंदर	118.39
78	172	म0प्र0 शासन आबादी	दुर्जन पति जुग्गू आदिवासी	50.16
79	172	म0प्र0 शासन आबादी	ठल्की बाई बे0 बाबू कौंदर	40.10
80	172	म0प्र0 शासन आबादी	बृजलाल पिता जुग्गुआ कौंदर	37.44
81	172	म0प्र0 शासन आबादी	रामप्रसाद पिता जुग्गुआ कौंदर	75.03
82	172	म0प्र0 शासन आबादी	मुन्ना पिता रामनाथ कौंदर	73.75
83	172	म0प्र0 शासन आबादी	कल्लू पिता शल्ला कौंदर	70.98
84	172	म0प्र0 शासन आबादी	रामलाल पिता रघुवर , जीवन लाल, मंगलदीन पिता रामलाल कौंदर	127.41
85	172	म0प्र0 शासन आबादी	आशाराम पिता लक्ष्मी प्रसाद कौंदर	76.56
86	172	म0प्र0 शासन आबादी	कल्लू पिता श्यामलाल कौंदर	78.60
87	172	म0प्र0 शासन आबादी	रामकृपाल पिता दिन्दावन सादू	31.32
88	172	म0प्र0 शासन आबादी	राजाराम पिता भूय कौंदर	66.11
89	172	म0प्र0 शासन आबादी	रमिया बे0 माधव कौंदर	167.55
90	172	म0प्र0 शासन आबादी	ठकुर्दीन पिता मलखान कौंदर	20.48
91	172	म0प्र0 शासन आबादी	गौरी बाई बे0 लल्लू आदिवासी	35.09
92	172	म0प्र0 शासन आबादी	पतिया बे0 सुरजान कौंदर	35.96
93	172	म0प्र0 शासन आबादी	विश्वनाथ पिता भूय आदिवासी	31.20
94	172	म0प्र0 शासन आबादी	रामदयाल उर्फ रम्गू आदिवासी पिता बसंता	15.00
95	172	म0प्र0 शासन आबादी	भूय पिता घुनवाद कौंदर	72.93
96	172	म0प्र0 शासन आबादी	राजू प्रसाद पिता रामलाल कौंदर	36.72
97	172	म0प्र0 शासन आबादी	जगदीश पिता बाबू कौंदर	32.76
98	172	म0प्र0 शासन आबादी	जानकी पिता रामदयाल कौंदर आदिवासी	115.06
99	172	म0प्र0 शासन आबादी	केदारनाथ पिता रामदयाल आदिवासी	38.64
100	172	म0प्र0 शासन आबादी	रमेश पिता रामदयाल आदिवासी	16.96
101	172	म0प्र0 शासन आबादी	गोलाव पिता बाबू कौंदर	74.00
102	172	म0प्र0 शासन आबादी	सीताराम पिता दुर्जन कौंदर	16.39
103	187	निजी भूमि	रामलाल पिता रघुवर कौंदर	28.09
104	197/3	निजी भूमि	मझली बेवा राजाराम, कमलेश, लखन, आशीष, रानी नाबा0 वली मां मझली जाति यादव	142.40
405	279	म0प्र0 शासन बंजर	सजीरे तनय चठया यादव पता बनहरीकला	113.74
106	284	म0प्र0 शासन वन	महेश तनय अघारी पता बनहरीकला	39.59
107	1478	म0प्र0 शासन अन्य	ठल्काई पिता ठल्कू यादव	283.74
108	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	ठीर पिता दददू यादव	158.11
109	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	कमतू पिता दददू यादव	72.60
110	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामाधार पिता दददू यादव	132.90
111	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	दयाराम पिता फददी यादव	94.85
112	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	कालीचरण पिता परशराम यादव	214.98
113	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	टिडी पिता जागे यादव	99.36
114	वनखण्ड	वनखण्ड पी 182	गुल्ले पिता जागे यादव	72.15

	पी 182			
115	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	सियाराम पिता रामेश्वर यादव	108.90
116	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	भगवानदास पिता मुल्लू बढई	60.50
117	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामा पिता बन्टे यादव	172.35
118	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामराजा पिता विट्वा, रामप्रसाद यादव रानी पति गोरेलाल	300.00
119	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामप्रकाश पिता सरजू यादव	99.00
120	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	सरजू पिता भालू	60.42
121	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	ठलके पिता सरजू यादव	77.10
122	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	मुन्ना पिता ठकुरदीन यादव	141.40
123	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	भीम पिता मुन्ना यादव	68.41
124	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	दयाराम पिता नारायण बढई	29.70
125	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	स्वरूप पिता प्रभू यादव	66.00
126	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	बालकिशन पिता जगन्नाथ यादव	222.80
127	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामआसरे पिता रज्जू यादव	74.12
128	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	अमर पिता रामआसरे यादव	23.87
129	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	मुन्नी पति रामआसरे यादव	20.52
130	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामकली पति सुदर्शन यादव	44.20
131	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	पभू पिता दुल्ला यादव	129.24
132	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	सुमित्रा पति दुल्ला यादव	38.69
133	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	दयाराम पिता दुल्ला यादव	133.30
134	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रज्जू पिता रामस्वरूप यादव	67.72
135	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	अवध पिता बन्दी यादव	40.95
136	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामप्रकाश पिता अवध यादव	50.40
137	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	बाबू पिता सुदर्शन यादव	22.68
138	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	शिवचरण पिता रामकिशोर यादव	22.68
139	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	राजकुमार पिता मझ्यादीन यादव	113.36
140	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	शिवरतन पिता रामस्वरूप यादव	128.40
141	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामकिशोर पिता रामधीन यादव	65.14
142	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	पैश्वनी पिता सुन्दरलाल यादव	100.00
143	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	मझली वेबा राजाराम यादव	111.53
144	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	नारायण पिता सुन्दरलाल यादव	153.80
145	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	राममिलन पिता बिठारी कौदर	67.57
146	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	लक्ष्मी पिता टिडिया यादव	160.55
147	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	दयाराम पिता भल्लू यादव	165.62

148	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	रामअवतार पिता कमता यादव	29.61
149	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	श्यामबाई पति रामस्वरूप, दंड्या पति पफू, सुमित्रा पति केवल कितरिया पति नावा यादव	187.00
150	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	राजू पिता भोला यादव	105.30
151	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	बाला पिता ददू यादव	302.14
152	वनखण्ड पी 182	वनखण्ड पी 182	श्यामबाई पति रामस्वरूप यादव	52.44
153	1510/2	मिजी भूमि	भोला पिता मंदरा यादव	428.34
154	1511/2	मिजी भूमि	आशाशम पिता भालू यादव,	216.86
155	1474	मिजी भूमि	रामकिशोर पिता दुल्ला यादव	211.28
156	1473	मिजी भूमि	जवाहर पिता रामधीन कौंदर	55.61
157	1454/62	मिजी भूमि	जुगुल प्रसाद पिता बलदेव प्रसाद	17.55
			योग	12042.45

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत दूब क्षेत्र में प्रभावित 157 मकानों के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम बनहरीकलां तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
 (ख) तहसील - अजयगढ़
 (ग) ग्राम - मझगांव मजरा बालूपुर
 (घ) क्षेत्रफल - 7942.42 वर्गमी0 (134 मकान)

स. क्र०	खसरा क्रमांक	भूमि का प्रकार	मकान मालिक, पिता / पति का नाम	कुल अर्जित मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी0) में
1	2	3	4	5
1	894	मध्यप्रदेश शासन	कल्लू पिता बबू अहिरवार	64.16
2	894	मध्यप्रदेश शासन	रामचरण पिता श्री कटारे अहिरवार	197.92
3	894	मध्यप्रदेश शासन	रामलखन, राजू, भोला पिता श्री बबू अहिरवार	56.64
4	894	मध्यप्रदेश शासन	हीरा पिता श्री कटारे अहिरवार	39.76
5	894	मध्यप्रदेश शासन	बे. मुल्ली पति श्री राजाराम कौंदर	17.98
6	894	मध्यप्रदेश शासन	ओमप्रकाश पिता श्री सुखदीन कोदर	17.92
7	894	मध्यप्रदेश शासन	बिसाली पिता श्री सुखदीन कोदर	9.00

8	894	मध्यप्रदेश शासन	सुखदीन पिता श्री धन्नु कोदर, मोहन, डीलचन्द्र, नीरज पिता श्री सुखदीन कोदर	29.15
9	894	मध्यप्रदेश शासन	शिवदीन पिता श्री धन्नु कोदर	140.10
10	894	मध्यप्रदेश शासन	पूरन पिता सुखदीन कोदर	18.15
11	894	मध्यप्रदेश शासन	हरदीन पिता धन्नु	56.70
12	894	मध्यप्रदेश शासन	परसराम पिता धन्नु	30.46
13	894	मध्यप्रदेश शासन	टीहे पिता धन्नु कोदर	14.30
14	894	मध्यप्रदेश शासन	सरजू पिता भइयाराम कोदर	25.90
15	894	मध्यप्रदेश शासन	बे. लक्ष्मी पति भइयाराम कोदर	16.10
16	894	मध्यप्रदेश शासन	दौलत पिता भइयाराम	27.06
17	894	मध्यप्रदेश शासन	चन्द्रपाल पिता जीवन लाल साहू	36.00
18	894	मध्यप्रदेश शासन	बुद्धू पिता रजोल कोदर	32.32
19	894	मध्यप्रदेश शासन	मुन्ना पिता रजोल कोदर	35.58
20	894	मध्यप्रदेश शासन	सिया कोदर रजोल कोदर पिता मन्नु कोदर	42.12
21	894	मध्यप्रदेश शासन	फरसू पिता अर्जुन कोदर	11.50
22	894	मध्यप्रदेश शासन	घनश्याम पिता धन्नु कोदर	24.00
23	894	मध्यप्रदेश शासन	कमलेश पिता राममिलन बसोर, कुसूम पति राममिलन रमेश पिता छोटा बसोर	90.39
24	894	मध्यप्रदेश शासन	ईश्वरदीन पिता रामसजीवन कोदर	21.45
25	894	मध्यप्रदेश शासन	कल्लू पिता हरिराम कोदर	74.00
26	894	मध्यप्रदेश शासन	मिजाजी लाल पिता लक्ष्मण कोदर	17.67
27	894	मध्यप्रदेश शासन	राजा भइया पिता लक्ष्मण कोदर	24.70
28	894	मध्यप्रदेश शासन	लक्ष्मण पिता हरि राम कोदर	48.00
29	894	मध्यप्रदेश शासन	देशराज पिता लक्ष्मण कोदर	30.00
30	894	मध्यप्रदेश शासन	बाबू लाल पिता रामचरण कोदर	103.29
31	894	मध्यप्रदेश शासन	बे०परमी पति रामचरण कोदर	27.60
32	894	मध्यप्रदेश शासन	भवानीदीन पिता विदावन कोदर,	69.55
	894	मध्यप्रदेश शासन	रामप्रकाश मन्नु कोदर पिता भवानीदीन कोदर	64.20
33	894	मध्यप्रदेश शासन	रामा पिता स्वामीदीन कोदर, बे० हक्की बाई पति स्वामीदीन, गनपत पिता रामा कोदर	25.11
34	894	मध्यप्रदेश शासन	रामऔतार पिता जूगरू कोदर	96.66
35	894	मध्यप्रदेश शासन	जयकरन पिता गोपाल कोदर	28.60
36	894	मध्यप्रदेश शासन	लल्लू पिता जगिर्यो कोदर	45.13
37	894	मध्यप्रदेश शासन	दीनदयाल पिता लल्लू कोदर	31.80
38	894	मध्यप्रदेश शासन	जगिर्यो पिता हजरियो कोदर	8.41
39	894	मध्यप्रदेश शासन	बाबू पिता जगिया कोदर	74.02
40	894	मध्यप्रदेश शासन	मातादीन पिता राम औतार कोदर	47.00
41	894	मध्यप्रदेश शासन	बेटीबाई पति गोपाल कोदर	28.50
42	894	मध्यप्रदेश शासन	परमा पिता दुर्जन कोदर	48.00
43	894	मध्यप्रदेश शासन	कृपाल पिता रामचरण अहिरवार	91.58
44	894	मध्यप्रदेश शासन	नत्थू पिता रामचरण अहिवार	52.90
45	894	मध्यप्रदेश शासन	रामचरण पिता टिडिया अहिरवार	35.10
46	894	मध्यप्रदेश शासन	पप्पू पिता रामचरण	15.37
47	894	मध्यप्रदेश शासन	छुट्टन पति सरमन अहिवार	36.38
48	894	मध्यप्रदेश शासन	झल्लू पिता सरमन अहिवार, आशा राम पिता सरमन अहिरवार	151.94

49	894	मध्यप्रदेश शासन	बेटा लाल पिता अनंदा बसोर	220.08
50	894	मध्यप्रदेश शासन	पन्ना पिता अनंदा बसोर	39.60
51	894	मध्यप्रदेश शासन	अच्छेलाल पिता अनंदा बसोर	41.58
	894	मध्यप्रदेश शासन	मुन्ना पिता अनंदा बसोर	15.60
52	894	मध्यप्रदेश शासन	पन्ना पिता अनंदा बसोर, बेटा लाल बसोर, चैनू पिता अनंदा बसोर,	30.08
53	894	मध्यप्रदेश शासन	गोरेलाल पिता गोकुल अहिरवार	65.00
54	894	मध्यप्रदेश शासन	देवेन्द्र, जितेन्द्र पिता कालिकादीन चौबे	51.52
55	894	मध्यप्रदेश शासन	राममिलन पिता बल्लू यादव	98.70
56	894	मध्यप्रदेश शासन	पप्पू पिता राममिलन यादव	97.29
57	894	मध्यप्रदेश शासन	रामरूप पिता जग्गे अहिरवार	61.32
58	894	मध्यप्रदेश शासन	राजेन्द्र सिंह	23.10
59	894	मध्यप्रदेश शासन	बबू पिता गोकुल अहिरवार	15.75
60	894	मध्यप्रदेश शासन	कामता प्रसाद पिता नन्नु अहिरवार	46.92
61	894	मध्यप्रदेश शासन	कामता प्रसाद लक्ष्मी प्रसाद पिता जगप्रसाद यादव	68.70
62	894	मध्यप्रदेश शासन	हक्के पिता रज्जू यादव	248.69
63	894	मध्यप्रदेश शासन	लेखराम पिता कल्लू यादव	63.00
64	894	मध्यप्रदेश शासन	कल्लू पिता रज्जू यादव, कमलेश पिता कल्लू यादव	132.24
65	894	मध्यप्रदेश शासन	हेतराम पिता कल्लू यादव	307.88
66	894	मध्यप्रदेश शासन	ईश्वरदीन पिता रज्जू यादव	92.08
67	894	मध्यप्रदेश शासन	भगवतदीन पिता गोपाल यादव	200.77
68	894	मध्यप्रदेश शासन	श्रीराम पिता सरिया	149.90
69	894	मध्यप्रदेश शासन	इन्दकुमार पिता श्रीराम यादव	76.62
70	894	मध्यप्रदेश शासन	हनुमान पिता गोपाल यादव	257.05
71	894	मध्यप्रदेश शासन	मइयादीन पिता गोपाल यादव	124.89
72	894	मध्यप्रदेश शासन	सुरेश पिता ईश्वरदीन यादव	38.37
73	894	मध्यप्रदेश शासन	जयराम पिता ईश्वरदीन यादव	6.89
74	894	मध्यप्रदेश शासन	राम नरेश पिता जयराम यादव	28.83
75	894	मध्यप्रदेश शासन	सुरेश पिता ईश्वरदीन यादव, जयराम पिता ईश्वरदीन यादव	121.20
76	894	मध्यप्रदेश शासन	बे. यसुदिया पति रज्जू यादव	42.93
77	894	मध्यप्रदेश शासन	सीताराम पिता रामचरन अहिरवार	131.86
78	894	मध्यप्रदेश शासन	द्वारका पिता रामचरन	19.50
79	894	मध्यप्रदेश शासन	कुटाली पिता मेडे यादव	39.78
80	894	मध्यप्रदेश शासन	रामेश्वर पिता मेडे यादव	60.99
81	894	मध्यप्रदेश शासन	निरपत प्रेमा रामस्वरूप जुगगन पिता बिन्दावन कोदर	136.37
82	894	मध्यप्रदेश शासन	नन्थू पिता परमा कोदर	20.30
83	894	मध्यप्रदेश शासन	महेश आदिवासी पिता बाबू आदिवासी	12.90
84	894	मध्यप्रदेश शासन	श्रीमती चन्दा पति मुन्ना आदिवासी	22.14
85	894	मध्यप्रदेश शासन	बराती लाल पिता राजाराम आदिवासी	17.36
86	894	मध्यप्रदेश शासन	लेखराम पिता कल्लू यादव	121.14
87	952	मध्यप्रदेश शासन	अनंदा पिता मठोला बसोर	38.35
88	952	मध्यप्रदेश शासन	ठकुरदीन, देवीदीन पिता गोरे लाल	37.95
89	952	मध्यप्रदेश शासन	संतु पिता कल्ला अहिरवार	48.69
90	952	मध्यप्रदेश शासन	रमेश पिता कल्ला अहिरवार	84.88
91	952	मध्यप्रदेश शासन	मनीराम पिता श्यामले	42.70
92	952	मध्यप्रदेश शासन	कमलेश पिता मनीराम	42.7
93	952	मध्यप्रदेश शासन	प्रागीलाल पिता मनीराम	31.36
94	952	मध्यप्रदेश शासन	कन्हैया लाल पिता लल्लू आदिवासी	38.50
95	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	महेन्द्र सिंह यादव	25.50

96	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	भूपत कोदर पिता भवानीदीन कोदर	16.20
97	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	बे. हककी पति गजराज कोदर	65.13
98	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	रामनरायण पिता गजराज कोदर	17.28
99	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	संतोष पिता गजराज कोदर	8.96
100	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	भजन पिता प्यारे कोदर	24.30
101	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	गिरधारी पिता भजन कोदर, दर्याव पिता भजन कोदर	30.0
102	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	डील चन्द्र पिता भजन कोदर	20.40
103	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	भागीरथ पिता भजन कोदर	39.00
104	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	कमल पिता प्यारे कोदर	116.88
405	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	रामकिशोर पिता श्यामले	46.50
106	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	दशरथ पिता बाबू कोदर	23.80
107	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	संतोष पिता बाबू	32.40
108	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	राधा चरण पिता गोपाल कोदर	63.60
109	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	महेन्द्र पिता गोपाल कोदर	25.50
110	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	रामकिशुन पिता बसंता कोदर	69.30
111	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	तेहस सिंह पिता रामकिशन कोदर, भारत पिता रामकिशुन कोदर	36.40
112	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	बडे लाल पिता किशन कोदर	22.36
113	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	राजू पिता सरमन अहिरवार	81.00
114	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	मलखान पिता बाला	24.25
115	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	जगप्रसाद पिता सरिया यादव	157.08
116	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	बलवान पिता सरिया यादव	115.73
117	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	आगनवाड़ी केन्द्र	50.75
118	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	प्राथमिक शाला भवन	243.90
119	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	किचन शीट प्राथमिक शाला भवन	29.25
120	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	माध्यमिक शाला भवन	171.08
121	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	किचन शीट माध्यमिक शाला भवन	29.70
122	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग पन्ना	सार्वजनिक देव स्थान	10.50
123	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	सार्वजनिक देव स्थान	9.36
124	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	सार्वजनिक देव स्थान	7.50
125	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	बाबूराम पिता राजू अहिरवार	49.56
126	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	नोनी पति डीलचन्द्र कोदर	27.00
127	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	श्रीमति चन्दा पति गिरधारी आधिवासी	22.14

128	950	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	संतराम पिता मनीराम आदिवासी	56.29
129	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	रावेन्द्र सिंह पिता मत्थू सिंह यादव	25.90
130	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	राघवेन्द्र सिंह पिता बलवान सिंह यादव	22.68
131	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	केदार सिंह एवं खूतराज सिंह	33.99
132	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	भान सिंह	28.38
133	952	मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन संभाग पन्ना	मनोज सिंह	15.04
134	952	मध्यप्रदेश शासन	देव स्थल (रावेन्द्र सिंह)	3.61
		योग		7942.42 वर्ग मी०

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित 134 मकानों के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मझगाँव मजरा बालपुर तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 371-भू-अर्जन-2022

सिंगरौली दिनांक 15 फरवरी 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अंतर्गत ग्राम बेलवार की 11.60 हे० भूमियों का अर्जन करना चाहती है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है। साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियों क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे० निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

--: अनुसूची :-

(1)	भूमि का वर्णन	--	
(क)	जिला	--	सिंगरौली
(ख)	तहसील	--	सरई
(ग)	ग्राम	--	बेलवार
(ड.)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	--	11.60 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4
			कोयला उत्खनन हेतु
1	40/1/1/9/2	0.010	
2	52/2/1/6/1	0.016	
3	52/2/1/6/2	0.016	
4	52/2/1/7/1,	0.008	
5	52/2/1/7/2	0.008	
6	52/2/1/7/3	0.008	
7	52/2/1/7/4	0.008	
8	52/2/1/8	0.032	
9	52/2/1/9	0.010	
10	52/2/1/10	0.010	
11	52/2/1/11	0.010	
12	52/2/1/12	0.010	
13	52/2/1/13	0.010	
14	52/2/1/14	0.010	
15	299/1/1	0.048	
16	299/1/2	0.020	
17	299/1/3	0.020	
18	299/1/4	0.040	
19	299/1/5	0.020	
20	299/1/6	0.020	
21	299/1/7	0.020	
22	299/1/8	0.020	
23	299/1/9	0.020	
24	299/1/10	0.012	
25	271/1	0.190	
26	271/2	0.020	
27	271/3	0.020	
28	271/4	0.020	
29	272	0.200	
30	297/1/1/1	0.120	
31	297/1/1/2	0.020	
32	297/1/1/3	0.020	
33	297/1/1/4	0.020	
34	297/2/1	0.190	
35	298/1	0.460	
36	298/2	0.040	
37	273/1	0.030	
38	273/2/1	0.420	
39	273/2/2	0.080	
40	273/3	0.180	
41	273/4	0.320	
42	273/4/1/1/1/1	0.188	
43	273/4/1/1/1/2	0.010	

44	273/4/1/1/1/3	0.010
45	273/4/1/1/1/2	0.032
46	273/4/1/1/2	0.010
47	273/4/1/1/3	0.020
48	273/4/1/1/4	0.040
49	273/4/1/1/5	0.032
50	273/4/1/1/6	0.040
51	273/4/1/2	0.020
52	273/4/1/3	0.020
53	273/4/1/4	0.020
54	273/4/2	0.020
55	273/4/3	0.010
56	273/4/4/1/1	0.002
57	273/4/4/1/2	0.002
58	273/4/4/1/3	0.002
59	273/4/4/1/4	0.002
60	273/4/4/1/5	0.002
61	273/4/4/2	0.010
62	273/4/5	0.020
63	273/4/6	0.020
64	274/1	0.020
65	274/2	0.020
66	274/3	0.020
67	276/1	0.010
68	276/2	0.020
69	276/3	0.020
70	276/4	0.020
71	277/1	0.040
72	277/2/1	0.028
73	277/2/2	0.032
74	277/3	0.060
75	277/4/1/1/1	0.012
76	277/4/1/1/2	0.002
77	277/4/1/2	0.006
78	277/4/2	0.040
79	278/1	0.020
80	278/2	0.050
81	278/3	0.050
82	278/4	0.010
83	278/5	0.020
84	275/1	0.020
85	275/2	0.040
86	275/3	0.040

87	275/4	0.040
88	283/1/1/1	0.072
89	283/1/1/2	0.032
90	283/1/1/3	0.016
91	283/1/1/4	0.010
92	283/1/2	0.120
93	283/2/1/1/1/1/1	0.210
94	283/2/1/1/1/1/2	0.010
95	283/2/1/1/1/2	0.020
96	283/2/1/1/2	0.010
97	283/2/1/2	0.010
98	283/2/2	0.020
99	283/2/3	0.020
100	283/2/4	0.010
101	283/2/5	0.020
102	283/2/6	0.020
103	284/1	0.420
104	284/2/1	0.420
105	284/2/2	0.010
106	285/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.106
107	285/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.032
108	285/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
109	285/1/1/1/1/1/1/2	0.010
110	285/1/1/1/1/1/2	0.010
111	285/1/1/1/1/2	0.016
112	285/1/1/1/2	0.040
113	285/1/1/2	0.010
114	285/1/1/2	0.016
115	285/1/1/3	0.020
116	285/1/2	0.060
117	285/1/3/1	0.010
118	285/1/3/2	0.010
119	285/1/3/3	0.010
120	285/1/3/4	0.010
121	285/1/3/5	0.010
122	285/1/3/6	0.010
123	285/2	0.050
124	285/3	0.130
125	286	0.250
126	290/1	0.440
127	290/2/1/1/1	0.440
128	290/2/1/1/2	0.040
129	290/2/1/2	0.020

130	290/2/2	0.020
131	290/3	0.510
132	290/4	0.020
133	290/5	0.020
134	290/6	0.020
135	290/7	0.020
136	291/1	0.250
137	291/2	0.060
138	291/3	0.080
139	292	0.020
140	293/1	0.090
141	293/2	0.080
142	293/3	0.080
143	294	0.100
144	296/1	0.110
145	296/2	0.120
146	296/3	0.120
147	295/1	0.410
148	295/2	0.400
149	289/1/1	0.260
150	289/2/1	0.260
151	289/3/1	0.150
152	594/1	0.100
153	593/1/1	0.120
154	593/2/1	0.120
155	315/2	0.010
156	315/3	0.010
157	315/4	0.010
158	315/5	0.010
159	315/6	0.010
160	315/7	0.020
161	315/8	0.020
162	315/9	0.020
163	315/10	0.060
164	315/11	0.020
165	315/12	0.010
166	315/13	0.020
167	315/14	0.040
168	315/16	0.030
169	315/17	0.030
170	315/18	0.020
171	315/19	0.030
172	315/21	0.010

173	287	0.400
174	288/1	0.133
कुल योग		11.60

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 373 / भू-अर्जन / 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अंतर्गत ग्राम बासीबेरदाह 147.67 हे० निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है। साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियों क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे० निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

—: अनुसूची :-

(1) <u>भूमि का वर्णन</u> -	
(क) जिला	:- सिंगरौली
(ख) तहसील	:- सरई
(ग) ग्राम	:- बासीबेरदाह
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 147.67 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4
1	1034/1	0.720	कोयला उत्खनन हेतु
2	1034/2	0.720	
3	1032/1	0.500	
4	1032/2	0.500	
5	1032/3	0.800	

6	1031/1	0.790
7	1031/2	0.240
8	1031/3	0.400
9	1011/1	0.070
10	1011/2	0.290
11	993/1	0.100
12	993/2	0.070
13	994/1	0.010
14	994/2	0.040
15	994/3	0.200
16	995/1	0.040
17	995/2	0.030
18	1030/1	0.230
19	1030/2	0.090
20	1030/3	0.240
21	1029/1	0.050
22	1029/2	0.030
23	1029/3	0.030
24	1029/4	0.030
25	1027	0.170
26	1026	0.230
27	1020/1	0.060
28	1020/2	0.120
29	1022	0.130
30	1023	0.120
31	1028	0.160
32	1025/1	0.320
33	1025/2	0.050
34	1019/1	0.820
35	1019/2	0.210
36	1019/3	0.120
37	1024/1	0.060
38	1024/2	0.500
39	1024/3	0.160
40	1024/4	0.070
41	1012	0.160
42	1013	0.250
43	1014	0.140
44	1015	0.110
45	1018/1	0.080
46	1018/2	0.210
47	1017/1	0.210
48	1017/2	0.180
49	1016	0.130
50	968/1	0.430
51	968/2	0.200
52	968/3/1	0.030

53	968/3/2	0.030
54	968/3/3	0.040
55	968/3/4	0.040
56	968/3/5	0.040
57	968/3/6	0.040
58	969/1	0.040
59	969/2	0.040
60	970/1	0.130
61	970/2	0.120
62	966	0.710
63	967/1	0.050
64	967/2	0.050
65	967/3	0.050
66	1001/1	0.140
67	1001/2	0.130
68	999	0.220
69	992	0.310
70	991/1	0.150
71	991/2	0.050
72	991/3	0.100
73	1002/1/1	0.080
74	1002/1/2	0.200
75	1002/1/3	0.200
76	1002/2	0.100
77	1003	0.200
78	1010	0.420
79	1008/1	0.540
80	1008/2	0.110
81	1009/1/1	0.240
82	1009/1/2	0.040
83	1009/2	0.050
84	961/1	0.050
85	961/2	0.060
86	960/1/1	0.010
87	960/1/2	0.120
88	960/2	0.150
89	960/3	0.070
90	960/4	0.100
91	962/1	0.150
92	962/2	0.150
93	959/1	0.040
94	959/2	0.340
95	949/1	0.230
96	949/2	0.050
97	948/1	0.800
98	948/2	0.160
99	950/1	0.330
100	950/2	0.060

101	963/1	0.050
102	963/2	0.390
103	963/3	0.390
104	963/4	0.030
105	963/5	0.010
106	965	1.010
107	917	0.090
108	958/1/1/1	0.030
109	958/1/1/2	0.080
110	958/1/2	0.160
111	958/2	0.200
112	964/1	0.290
113	964/2	0.200
114	964/3	0.010
115	964/4	0.060
116	964/5/1	0.100
117	964/5/2	0.010
118	923	0.120
119	918/1	0.200
120	918/2	0.020
121	924	0.030
122	922	0.020
123	919	0.050
124	921	0.050
125	925/1	0.050
126	925/2	0.040
127	927	0.100
128	926	0.060
129	916	0.100
130	990/1/1/1	0.11
131	990/1/1/2	0.20
132	990/1/2	0.04
133	990/1/3	0.11
134	990/1/4	0.17
135	990/2/1	0.05
136	990/2/2	0.09
137	990/2/3	0.03
138	990/2/4	0.09
139	990/2/5	0.02
140	990/2/6	0.02
141	986/1/1	0.24
142	986/1/2	0.56
143	986/2	0.79
144	985/1/1	0.29
145	985/1/2	0.10
146	985/2	0.40
147	753/1	0.37
148	753/2	0.31

149	751/1/1	0.05
150	751/1/2	0.04
151	751/2	0.01
152	754/1	0.08
153	769	0.100
154	764/1	0.070
155	764/2	0.017
156	947/1	0.42
157	947/2	0.17
158	947/3/1	0.38
159	947/3/2	0.04
160	951	0.20
161	952	0.35
162	957/1/1	0.490
163	957/1/2	0.020
164	957/2	0.160
165	956/1	0.050
166	956/2	0.400
167	928/1	0.600
168	928/2	0.070
169	953/1/1	0.100
170	953/1/2	0.100
171	953/2	0.010
172	955	0.190
173	954/1	0.060
174	954/2	0.190
175	930/1	0.030
176	930/2	0.200
177	930/3	0.200
178	939	0.440
179	940/1	0.470
180	940/2	0.400
181	940/3	0.200
182	940/4	0.200
183	938	0.400
184	936/1	0.160
185	936/2	0.230
186	936/3/1	0.110
187	936/3/2	0.400
188	936/4/1/1	0.028
189	936/4/1/2	0.032
190	936/4/2	0.032
191	936/4/3	0.018
192	936/4/4	0.018
193	936/4/5	0.032
194	936/4/6	0.400
195	934/1	0.170
196	934/2	0.290

197	945/1	0.050
198	945/2	0.010
199	946	0.210
200	944/1	0.160
201	944/2	0.100
202	942/1	0.160
203	942/2	1.100
204	942/3/1	0.220
205	942/3/2	0.330
206	943	0.270
207	931/1	0.090
208	931/2	0.200
209	931/3	0.200
210	933	0.560
211	932	0.32
212	972/1	0.15
213	972/2	0.15
214	989/1	0.50
215	989/2/1	0.03
216	989/2/2	0.46
217	989/2/3	0.17
218	989/3/1	0.19
219	989/3/2	0.19
220	989/4/1	0.21
221	989/4/2	0.20
222	989/5	0.18
223	988/1	0.13
224	988/2	0.19
225	973/1	0.11
226	973/2	0.09
227	974	0.04
228	975	0.09
229	976	0.04
230	977	0.10
231	978	0.10
232	979/1	0.42
233	979/2	0.21
234	979/3	0.21
235	981/1/1	0.26
236	981/1/2	0.08
237	981/2	0.53
238	983/1/1	0.02
239	983/1/2	0.10
240	983/2/1	0.15
241	983/2/2	0.01
242	983/2/3	0.01
243	983/2/4	0.01
244	983/2/5	0.03

245	983/2/6	0.05
246	983/2/7	0.02
247	983/2/8	0.02
248	983/2/9	0.03
249	983/2/10	0.04
250	983/2/11	0.04
251	983/2/12	0.04
252	983/3	0.11
253	983/4	0.06
254	983/5	0.02
255	983/6	0.03
256	983/7	0.03
257	983/8/1	0.35
258	983/8/2	0.03
259	983/8/3	0.10
260	984/1	0.15
261	984/2	0.15
262	772/1	0.04
263	772/2	0.03
264	772/3	0.03
265	771/1	0.25
266	771/2	0.24
267	771/3/1/1/1/1	0.16
268	771/3/1/1/1/2	0.02
269	771/3/1/1/2	0.01
270	771/3/1/2	0.03
271	771/3/2	0.02
272	768	0.21
273	770/1/1/1	0.19
274	770/1/1/2	0.01
275	770/1/2	0.01
276	770/2	0.01
277	770/3	0.01
278	770/4	0.01
279	770/5	0.01
280	770/6	0.01
281	770/7	0.01
282	770/8	0.01
283	767/1/1	0.01
284	767/1/2	0.01
285	767/1/3	0.01
286	767/1/4	0.01
287	767/1/5	0.01
288	767/1/6	0.01
289	767/1/7	0.01
290	767/1/8	0.01
291	767/1/9	0.01
292	767/1/10	0.01

293	767/1/11	0.01
294	767/1/12	0.02
295	767/1/13	0.01
296	767/1/14	0.01
297	767/1/15	0.05
298	767/2	0.01
299	766	0.25
300	777/1	0.07
301	779/1	0.02
302	786/1	0.06
303	786/2	0.06
304	784/1	0.10
305	784/2	0.06
306	783/1	0.050
307	783/2	0.020
308	783/3	0.050
309	783/4	0.050
310	783/5	0.012
311	780/1	0.100
312	780/2	0.141
313	982/1/1	0.28
314	982/1/2	0.20
315	982/2	0.37
316	982/3	0.13
317	773/1	0.12
318	773/2	0.11
319	773/3	0.11
320	774/1/1	0.18
321	774/1/2	0.02
322	774/2/1/1/1/1	0.10
323	774/2/1/1/1/2	0.01
324	774/2/1/1/2	0.01
325	774/2/1/2	0.01
326	774/2/2	0.01
327	775/1/1	0.14
328	775/1/2	0.01
329	775/2	0.01
330	775/3	0.06
331	775/4	0.01
332	775/5	0.02
333	775/6	0.02
334	775/7	0.02
335	775/8	0.02
336	775/9	0.01
337	775/10	0.01
338	775/11	0.01
339	776/1	0.28
340	776/2	0.37

341	776/3	0.09
342	778/1	0.150
343	778/2/1	0.020
344	778/2/2	0.020
345	778/2/3	0.040
346	778/2/4	0.060
347	778/3	0.010
348	778/4	0.020
349	778/5	0.080
350	778/6	0.080
351	778/7/1	0.020
352	778/7/2	0.023
353	842	0.29
354	841	0.04
355	782	0.16
356	781	0.16
357	840	0.18
358	843/1	0.01
359	843/2	0.24
360	843/3	0.10
361	843/4	0.10
362	839	0.46
363	838/1	0.09
364	838/2	0.09
365	788/1	0.10
366	788/2	0.03
367	721/1	0.09
368	721/2	0.06
369	720	0.02
370	719/1	0.019
371	718	0.08
372	707/1	0.10
373	707/2	0.09
374	705/1	0.03
375	703/1	0.20
376	703/2	0.12
377	591/1	0.01
378	592	0.03
379	702/1/1	0.11
380	702/1/2	0.11
381	702/2	0.23
382	293/1	0.03
383	593	0.03
384	291/1	0.06
385	291/2	0.03
386	915/1	0.10
387	915/2	0.21
388	915/3	0.31

389	980/1	0.34
390	980/2/1	0.28
391	980/2/2	0.02
392	980/2/3	0.06
393	980/2/4	0.04
394	980/3	0.32
395	866/1	0.33
396	866/2	0.33
397	865/1	0.16
398	865/2	0.08
399	865/3	0.08
400	864	0.19
401	862/1	0.04
402	862/2/1/1/1/1	0.010
403	862/2/1/1/1/2	0.040
404	862/2/1/1/2	0.040
405	862/2/1/2	0.020
406	862/2/2	0.040
407	862/3	0.150
408	862/4	0.090
409	863/1	0.100
410	863/2	0.090
411	863/3	0.060
412	861/1	0.100
413	861/2	0.120
414	844/1	0.060
415	844/2/1/1	0.210
416	844/2/1/2	0.120
417	844/2/2	0.290
418	844/2/3	0.040
419	937/1	0.120
420	937/2	0.020
421	892/1/1/1/1/1	0.110
422	892/1/1/1/1/2	0.024
423	892/1/1/1/2	0.024
424	892/1/1/2	0.020
425	892/1/2	0.012
426	892/2	0.180
427	896/1/1/1	0.018
428	896/1/1/2	0.032
429	896/1/2/1	0.020
430	896/1/2/2	0.020
431	896/1/3/1	0.008
432	896/1/3/2	0.012
433	896/1/4/1	0.012
434	896/1/4/2	0.008
435	896/2	0.030
436	897/1	0.010

437	897/2	0.030
438	897/3	0.060
439	897/4	0.040
440	929	0.080
441	891/1/1/1	0.070
442	891/1/1/2	0.010
443	891/1/2	0.020
444	891/1/3	0.010
445	891/1/4	0.010
446	891/1/5	0.010
447	891/1/6	0.010
448	891/1/7	0.010
449	891/1/8	0.010
450	891/1/9	0.010
451	891/1/10	0.010
452	891/1/11	0.010
453	891/1/12	0.010
454	891/1/13	0.010
455	891/1/14	0.010
456	891/1/15	0.010
457	891/1/16	0.010
458	891/1/17	0.010
459	891/2	0.060
460	891/3	0.020
461	888/1/1	0.088
462	888/1/2	0.016
463	888/1/3	0.016
464	888/1/4	0.040
465	888/1/5	0.040
466	888/2	0.060
467	888/3	0.090
468	887/1	0.260
469	887/2	0.050
470	881	0.110
471	895/1/1	0.010
472	895/1/2	0.010
473	895/1/3	0.010
474	895/1/4	0.010
475	895/2/1	0.024
476	895/2/2	0.026
477	895/2/3	0.026
478	895/2/4	0.024
479	895/3/1	0.020
480	895/3/2	0.020
481	898	0.070
482	899/1	0.060
483	899/2	0.050
484	902	0.120

485	900/1	0.050
486	900/2	0.040
487	900/3	0.030
488	878	0.200
489	901/1	0.030
490	901/2	0.030
491	901/3	0.030
492	901/4	0.030
493	877	0.100
494	879	0.130
495	903/1	0.200
496	903/2	0.120
497	903/3	0.120
498	912/1	0.120
499	912/2/1/1/1	0.070
500	912/2/1/1/2	0.040
501	912/2/1/2	0.020
502	912/2/2	0.020
503	912/3/1/1/1	0.020
504	912/3/1/1/2	0.020
505	912/3/1/2	0.024
506	912/3/2	0.022
507	912/3/3	0.014
508	912/4	0.100
509	912/5	0.060
510	904/1	0.060
511	904/2	0.060
512	904/3/1	0.090
513	904/3/2	0.020
514	904/4	0.040
515	904/5	0.100
516	911	0.140
517	910	0.060
518	909	0.080
519	908/1	0.100
520	908/2	0.040
521	906/1	0.060
522	906/2	0.070
523	906/3	0.060
524	905	0.190
525	907	0.070
526	913/1	0.020
527	913/2/1/1	0.042
528	913/2/1/2	0.008
529	913/2/2	0.200
530	913/3	0.030
531	913/4/1/1	0.080
532	913/4/1/2	0.020

533	913/4/2	0.020
534	913/4/3	0.020
535	913/4/4	0.060
536	914/1	0.690
537	914/2	0.390
538	914/3	0.390
539	914/4	0.200
540	914/5	0.300
541	914/6	0.040
542	914/7	0.010
543	914/8	0.010
544	914/9	0.010
545	914/10	0.010
546	914/11	0.010
547	914/12	0.010
548	869/1/1	0.200
549	869/1/2	0.100
550	869/2	0.020
551	869/3	0.020
552	868/1	0.360
553	868/2	0.230
554	868/3	0.140
555	880/1	0.060
556	880/2/1	0.002
557	880/2/2	0.080
558	880/2/3	0.080
559	880/2/4/1/1/1	0.028
560	880/2/4/1/1/2	0.024
561	880/2/4/1/2	0.016
562	880/2/4/2	0.012
563	880/2/5	0.026
564	880/2/6	0.026
565	880/2/7	0.026
566	880/3	0.020
567	876	0.050
568	875/1	0.300
569	875/2	0.200
570	875/3/1	0.020
571	875/3/2	0.080
572	875/4	0.190
573	870	0.200
574	855/1	0.190
575	855/2	0.370
576	855/3	0.190
577	871/1	0.280
578	871/2	0.150
579	871/3	0.280
580	856/1	0.130

581	856/2	0.130
582	856/3	0.120
583	867/1	0.120
584	867/2	0.110
585	867/3/1	0.260
586	867/3/2	0.070
587	867/4	0.120
588	867/5	0.330
589	867/6	0.330
590	858/1	0.270
591	858/2	0.030
592	859/1	0.060
593	859/2	0.060
594	859/3	0.070
595	860/1	0.090
596	860/2	0.030
597	860/3	0.030
598	860/4	0.030
599	860/5	0.030
600	860/6	0.030
601	845/1	0.220
602	845/2	0.240
603	845/3/1	0.030
604	845/3/2	0.030
605	845/3/3	0.030
606	845/3/4	0.030
607	845/4	0.120
608	845/5	0.120
609	845/6	0.130
610	847	0.190
611	848	0.180
612	857	0.100
613	849	0.130
614	846	0.200
615	889/1/1/1/1/1	0.080
616	889/1/1/1/1/2	0.010
617	889/1/1/1/2	0.010
618	889/1/1/2	0.010
619	889/1/2	0.040
620	889/1/2	0.040
621	889/1/3	0.010
622	889/2	0.140
623	889/3/1	0.040
624	889/3/2/1/1	0.040
625	889/3/2/1/2	0.010
626	889/3/2/2	0.010
627	889/3/3/1/1	0.040
628	889/3/3/1/2	0.010

629	889/3/3/2	0.010
630	889/3/4	0.060
631	889/3/5	0.020
632	889/3/6	0.020
633	889/3/7	0.020
634	889/3/8	0.040
635	889/3/9	0.040
636	889/3/10	0.032
637	889/3/11	0.008
638	889/4	0.030
639	889/5/1/1	0.030
640	889/5/1/2	0.010
641	889/5/2	0.010
642	889/6/1	0.040
643	889/6/2	0.010
644	889/7/1	0.030
645	889/7/2	0.020
646	889/8/1	0.040
647	889/8/2	0.010
648	889/9/1	0.070
649	889/9/2	0.100
650	889/9/3	0.060
651	889/10	0.150
652	889/11	0.010
653	886/1/1	0.040
654	886/1/2	0.060
655	886/2	0.040
656	886/3	0.070
657	886/4	0.030
658	893/1/1	0.170
659	893/1/2	0.020
660	893/1/3/1/1	0.080
661	893/1/3/1/2	0.020
662	893/1/3/2/1	0.020
663	893/1/3/2/2	0.024
664	893/1/3/3	0.016
665	893/2	0.210
666	894/1	0.030
667	894/2/1	0.070
668	894/2/2	0.010
669	894/3/1/1	0.164
670	894/3/1/2	0.010
671	894/3/1/3	0.006
672	894/3/2	0.020
673	894/3/3	0.010
674	894/3/4	0.020
675	894/3/5	0.010
676	894/3/6	0.010

677	894/3/7	0.010
678	894/3/8	0.010
679	894/4	0.060
680	894/5	0.120
681	894/6/1/1/1/1/1	0.082
682	894/6/1/1/1/1/2	0.010
683	894/6/1/1/1/2	0.020
684	894/6/1/1/2	0.024
685	894/6/1/2	0.024
686	894/6/2	0.020
687	894/7	0.010
688	882	0.140
689	883	0.140
690	884/1	0.140
691	884/2	0.030
692	885/1	0.070
693	885/2/1	0.040
694	885/2/2	0.040
695	885/3	0.100
696	885/4	0.070
697	885/5/1	0.030
698	885/5/2/1	0.010
699	885/5/2/2	0.010
700	885/5/3/1	0.010
701	885/5/3/2	0.010
702	885/5/4	0.020
703	820	0.090
704	821/1	0.020
705	821/2	0.100
706	821/3	0.040
707	821/4	0.040
708	817	0.150
709	822/1	0.130
710	822/2	0.040
711	822/3	0.060
712	822/4	0.060
713	822/5	0.030
714	822/6	0.040
715	814/1/1	0.080
716	814/1/2	0.040
717	814/1/3	0.040
718	814/1/4	0.020
719	814/2	0.060
720	812/1	0.060
721	812/2	0.120
722	811/1	0.190
723	811/2/1	0.068
724	811/2/2	0.012

725	811/2/3	0.020
726	811/2/4	0.010
727	811/2/5	0.020
728	811/2/6	0.020
729	811/3	0.040
730	811/4	0.040
731	811/5/1	0.160
732	811/5/2	0.020
733	808/1	0.100
734	808/2	0.140
735	807/1	0.120
736	807/2	0.230
737	801/1	0.150
738	801/2	0.010
739	823	0.040
740	824/1	0.150
741	824/2	0.140
742	825	0.080
743	813	0.040
744	826/1/1	0.020
745	826/1/2	0.020
746	826/2	0.040
747	826/3	0.010
748	827/1/1	0.260
749	827/1/2	0.040
750	827/2	0.060
751	828	0.180
752	810/1/1/1/1	0.076
753	810/1/1/1/2	0.020
754	810/1/1/2	0.012
755	810/1/2	0.012
756	810/2	0.040
757	809/1/1	0.020
758	809/1/2	0.050
759	806	0.100
760	802/1/1	0.010
761	802/1/2	0.010
762	802/1/3	0.010
763	802/1/4	0.020
764	802/2	0.100
765	802/3/1	0.120
766	802/3/2	0.020
767	802/3/3	0.020
768	802/3/4	0.020
769	802/3/5	0.020
770	802/3/6	0.020
771	802/3/7	0.020
772	802/3/8	0.020

773	802/4	0.100
774	802/5	0.020
775	829/1	0.070
776	829/2	0.090
777	830	0.100
778	874/1	0.100
779	874/2	0.100
780	874/3	0.100
781	873/1	0.150
782	873/2/1/1	0.010
783	873/2/1/2	0.080
784	873/2/2	0.030
785	873/2/3	0.020
786	872/1	0.250
787	872/2	0.150
788	872/3	0.050
789	872/4	0.200
790	853/1	0.060
791	853/2	0.060
792	853/3	0.060
793	854/1	0.060
794	854/2	0.020
795	854/3	0.060
796	854/4	0.040
797	852/1	0.070
798	852/2	0.060
799	852/3	0.060
800	851	0.060
801	850/1	0.210
802	850/2	0.210
803	850/3	0.210
804	850/4	0.200
805	837/1	0.220
806	837/2/1/1	0.090
807	837/2/1/2	0.032
808	837/2/1/3	0.048
809	837/2/2	0.160
810	837/2/3	0.150
811	837/2/4	0.160
812	837/3	0.220
813	837/4	0.210
814	836/1	0.200
815	836/2	0.200
816	836/3	0.220
817	791/1	0.140
818	791/2	0.130
819	790/1	0.160
820	790/2	0.160

821	789/1	0.040
822	789/2	0.050
823	792/1	0.070
824	792/2	0.250
825	792/3	0.090
826	792/4	0.080
827	835/1	0.060
828	835/2/1	0.020
829	835/2/2	0.200
830	853/3/1	0.190
831	853/3/2	0.080
832	835/4/1	0.020
833	835/4/2	0.080
834	805/1	0.230
835	805/2	0.220
836	831/1/1	0.050
837	831/1/2	0.400
838	831/2	0.200
839	831/3	0.230
840	831/4	0.250
841	831/5	0.230
842	803/1	0.090
843	803/2	0.170
844	804/1	0.060
845	804/2	0.100
846	799/1	0.070
847	799/2	0.080
848	799/3	0.030
849	799/4	0.050
850	800/1	0.070
851	800/2	0.130
852	798	0.130
853	797/1/1	0.080
854	797/1/2	0.200
855	797/2	0.200
856	832/1	0.150
857	832/2	0.160
858	832/3/1	0.060
859	832/3/2	0.032
860	832/3/3	0.032
861	832/3/4	0.036
862	833/1	0.100
863	833/2	0.100
864	833/3	0.040
865	833/4	0.060
866	795/1	0.200
867	795/2/1	0.180
868	795/2/2	0.010

869	795/2/3	0.010
870	795/3	0.190
871	834/1	0.530
872	834/2/1	0.040
873	834/2/2	0.040
874	834/2/3	0.040
875	834/2/4	0.040
876	834/2/5	0.040
877	834/2/6	0.040
878	834/2/7	0.040
879	834/2/8	0.040
880	834/2/9	0.040
881	834/2/10	0.040
882	834/3/1	0.010
883	834/3/2	0.120
884	793/1	0.430
885	793/2/1	0.080
886	793/2/2	0.080
887	793/2/3	0.080
888	793/2/4	0.080
889	793/2/5	0.080
890	793/3	0.020
891	717	0.060
892	716/1	0.070
893	716/2	0.060
894	713	0.100
895	715	0.120
896	708	0.100
897	714	0.090
898	796/1/1	0.090
899	796/1/2	0.400
900	796/2	0.150
901	796/3	0.150
902	796/4	0.150
903	794/1	0.370
904	794/2	0.370
905	712/1	0.120
906	712/2	0.120
907	711/1	0.050
908	711/2/1	0.020
909	711/2/2	0.020
910	711/3	0.010
911	710	0.120
912	701	0.060
913	700	0.050
914	699	0.150
915	698	0.080
916	697	0.050

917	695	0.100
918	696/1	0.110
919	696/2	0.110
920	677/1	0.070
921	677/2	0.320
922	677/3	0.110
923	677/4/1/1/1	0.040
924	677/4/1/1/2	0.020
925	677/4/1/2	0.020
926	677/4/2	0.040
927	677/5	0.110
928	677/6	0.080
929	677/7/1	0.040
930	677/7/2	0.008
931	677/7/3	0.032
932	677/8	0.090
933	679/1	0.140
934	679/2/1	0.110
935	679/2/2	0.040
936	680/1	0.200
937	680/2	0.060
938	680/3/1	0.050
939	680/3/2	0.010
940	694/1	0.280
941	694/2	0.240
942	694/3/1	0.080
943	694/3/2	0.040
944	694/4	0.310
945	693	0.100
946	692/1	0.070
947	692/2	0.070
948	691/1	0.210
949	691/2	0.200
950	687	0.110
951	686/1	0.220
952	686/2/1	0.070
953	686/2/2	0.040
954	686/3	0.110
955	688/1/1	0.030
956	688/1/2	0.040
957	688/2	0.080
958	689/1	0.090
959	689/2	0.100
960	685/1/1	0.010
961	685/1/2	0.200
962	685/2	0.200
963	594/1	0.400
964	594/2	0.390

965	594/3/1/1	0.200
966	594/3/1/2	0.100
967	594/3/2	0.040
968	594/3/3	0.040
969	613/1/1	2.134
970	613/1/2	0.076
971	613/2	0.010
972	613/3	0.010
973	613/4	0.010
974	613/5	0.010
975	615	0.200
976	616	0.200
977	617	0.270
978	620	0.900
979	220/1	0.280
980	220/2	0.090
981	220/3	0.200
982	621/2	0.020
983	223/1	0.730
984	223/2	0.800
985	608	0.360
986	251/1	0.140
987	251/2/1	0.040
988	251/2/2	0.400
989	251/3	0.120
990	251/4	0.200
991	604/1	0.250
992	604/2	0.250
993	604/3/1	0.130
994	604/3/2	0.120
995	604/4	0.300
996	254	0.100
997	603	0.120
998	602/1	0.030
999	602/2	0.040
1000	600/1	0.060
1001	600/2	0.060
1002	257	0.140
1003	265	0.250
1004	266/1	0.090
1005	266/2	0.210
1006	266/3	0.150
1007	266/4	0.150
1008	266/5	0.150
1009	266/6	0.020
1010	266/7	0.030
1011	599/1	0.170
1012	599/2/1	0.048

1013	599/2/2	0.032
1014	599/3	0.080
1015	598/1	0.060
1016	598/2	0.200
1017	598/3	0.130
1018	598/4	0.130
1019	598/5	0.130
1020	598/6	0.400
1021	280	0.588
1022	281	0.100
1023	283	0.150
1024	284	0.148
1025	288/1	0.018
1026	597/1	0.250
1027	597/2	0.080
1028	597/3	0.060
1029	597/4	0.080
1030	597/5	0.080
1031	596/1	0.070
1032	596/2	0.150
1033	282/1	0.300
1034	282/2	0.320
1035	611/1/1	0.320
1036	611/1/2	0.030
1037	611/2	0.350
1038	623	0.290
1039	610	0.160
1040	609	0.200
1041	628/1	0.100
1042	628/2/1	0.030
1043	628/2/2	0.060
1044	628/3	0.370
1045	607/1	0.290
1046	607/2	0.300
1047	606/1/1	0.080
1048	606/1/2	0.080
1049	606/1/3	0.080
1050	606/1/4	0.100
1051	606/2	0.100
1052	606/3	0.220
1053	605/1	0.200
1054	605/2/1	0.130
1055	605/2/2	0.060
1056	605/3	0.200
1057	605/4/1	0.100
1058	605/4/2	0.100
1059	636/2	0.020
1060	656/2	0.020

1061	641	0.100
1062	648	0.080
1063	645/1	0.050
1064	645/2	0.050
1065	646	0.070
1066	644	0.050
1067	643/1	0.110
1068	643/2	0.100
1069	643/3	0.100
1070	222/1	0.210
1071	222/2	0.032
1072	222/3	0.032
1073	222/4	0.032
1074	222/5	0.032
1075	222/6	0.032
1076	222/7	0.040
1077	213	0.150
1078	216/1	0.450
1079	216/2	0.050
1080	216/3	0.400
1081	271/1	0.270
1082	271/2	0.192
1083	270/1	0.590
1084	270/2	0.050
1085	267/1	0.050
1086	267/2	0.310
1087	267/3	0.140
1088	267/4	0.020
1089	267/5	0.040
1090	242	0.170
1091	240	0.063
1092	200/1	0.500
1093	200/2	0.160
1094	200/3	0.020
1095	268	0.300
1096	269	0.130
1097	243	0.240
1098	239	0.075
1099	238	0.198
1100	194	0.008
1101	195	0.048
1102	142/1	0.110
1103	142/2	0.090
1104	143/1	0.054
1105	164	0.320
1106	163/1	0.100
1107	163/2	0.200
1108	164/1052	0.210

1109	244	0.830
1110	241	1.030
1111	253	0.030
1112	252/1	0.500
1113	252/2	0.070
1114	232/1051/1	0.180
1115	232/1051/2	0.260
1116	224/1	0.200
1117	224/2	0.200
1118	224/3	0.230
1119	224/4	0.200
1120	197	0.320
1121	237/1	0.600
1122	237/2/1	0.100
1123	237/2/2	0.056
1124	237/2/3	0.172
1125	237/2/4	0.172
1126	246	0.300
1127	248/1/1	0.110
1128	248/1/2	0.120
1129	248/2	0.230
1130	248/3/1	0.030
1131	248/3/2	0.200
1132	234	0.170
1133	235/1	0.180
1134	235/2	0.180
1135	236	0.170
1136	165/1	0.280
1137	165/2	0.330
1138	156/1	0.012
1139	215	0.140
1140	232	0.130
1141	233/1	0.260
1142	233/2	0.100
1143	233/3	0.280
1144	233/4	0.200
1145	211	0.070
1146	214/1	0.030
1147	214/2	0.080
1148	226/1	0.110
1149	226/2	0.170
1150	226/3	0.080
1151	226/4	0.100
1152	210/1	0.110
1153	210/2	0.280
1154	207	0.520
1155	165/1050/1	0.220
1156	165/1050/2	0.220

1157	171	0.090
1158	173	0.070
1159	174/1/1	1.522
1160	204/1	0.310
1161	204/2	0.310
1162	205/1	0.140
1163	205/2	0.130
1164	203	0.110
1165	206	0.470
1166	208	0.260
1167	198/1	0.150
1168	198/2	0.150
1169	199/1	0.170
1170	199/2	0.180
1171	209	0.070
1172	227	0.140
1173	228	0.580
1174	229	0.110
1175	201/1	0.440
1176	201/2	0.100
1177	935	0.100
कुल योग		147.67

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इरा सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संवध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 375 / भू-अर्जन / 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम आमडाड की 5.170 हे० निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है। साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियों क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे० निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

—: अनुसूची :-

(1) <u>भूमि का वर्णन</u> —	
(क) जिला	:- सिंगरौली
(ख) तहसील	:- सरई
(ग) ग्राम	:- आमडाड
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 5.170 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4
1	6/2/1	0.333	कोयला उत्खनन हेतु
2	6/2/2	0.020	
3	6/2/3	0.020	
4	6/2/4	0.020	

5	6/2/5	0.020
6	6/2/6	0.020
7	6/2/7	0.034
8	6/2/8	0.020
9	6/2/9	0.020
10	6/2/10	0.020
11	6/2/11	0.020
12	6/2/12	0.300
13	6/2/13	0.020
14	6/2/14	0.433
15	7/1/1	0.056
16	7/1/2	0.020
17	7/1/3	0.020
18	7/1/4	0.020
19	7/1/5	0.020
20	7/1/6	0.020
21	7/1/7	0.020
22	7/1/8	0.010
23	7/2/1	0.106
24	7/2/2	0.020
25	7/2/3	0.020
26	7/2/4	0.020
27	7/2/5	0.020
28	7/2/6	0.186
29	7/3/1/1/1	0.036
30	7/3/1/1/2	0.080
31	7/3/1/2/1	0.012
32	7/3/1/2/2	0.012
33	7/3/1/2/3	0.012
34	7/3/1/2/4	0.012
35	7/3/1/2/5	0.012
36	7/3/2	0.010
37	7/4/1/1	0.106
38	7/4/1/2	0.010
39	7/4/2	0.070
40	8/1/1/1/1/1	0.020
41	8/1/1/1/1/2	0.060
42	8/1/1/1/1/3	0.060
43	8/1/1/1/2	0.020
44	8/1/1/2	0.080
45	8/1/2	0.010
46	8/1/3	0.020
47	8/1/4	0.020
48	8/2/1/1	0.020

49	8/2/1/2	0.009
50	8/2/2	0.101
51	9/1/1	0.036
52	9/1/2/1	0.110
53	9/1/2/2	0.014
54	9/2	0.040
55	9/3	0.060
56	9/4	0.060
57	9/5	0.060
58	9/6	0.060
59	10/1/1/1	0.040
60	10/1/1/2	0.010
61	10/1/1/3	0.050
62	10/1/1/4/1	0.030
63	10/1/1/4/2	0.010
64	10/1/1/4/3	0.010
65	10/1/1/5/1	0.020
66	10/1/1/5/2	0.010
67	10/1/1/5/3	0.010
68	10/1/1/5/4	0.010
69	10/1/1/6/1	0.050
70	10/2	0.130
71	10/3	0.270
72	10/4/1/1/1	0.030
73	10/4/1/1/2	0.020
74	10/4/1/1/3	0.020
75	10/4/1/1/4	0.020
76	10/4/1/1/5	0.020
77	10/4/1/1/6	0.020
78	10/4/1/1/7	0.020
79	10/4/1/1/8	0.020
80	11/2	0.100
81	12/1/1/1/1/1	0.094
82	12/1/1/1/1/2	0.056
83	12/1/1/1/1/2	0.020
84	12/1/1/1/1/3	0.020
85	12/1/1/1/1/4	0.020
86	12/1/1/1/2	0.020
87	12/1/1/1/3	0.020
88	12/1/1/2	0.010
89	12/1/1/3	0.020
90	12/1/1/4	0.020
91	12/1/1/5	0.020
92	12/2	0.020
93	12/3	0.010
94	12/4	0.020
95	53	0.020

96	54/2/1	0.020
97	54/2/2	0.020
98	54/3	0.020
99	54/4	0.020
100	54/5	0.020
101	58/1	0.130
102	59/1/1	0.153
103	59/2/1	0.153
104	59/3/1	0.154
105	113/2	0.020
106	113/3	0.060
कुल योग		5.170

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10 के पृ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्रमांक ३७७/भू-अर्जन/2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्रॉटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अर्थात् ग्राम अमरईखोह, 43.06 हे० निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है। साथ ही मेसर्स स्ट्रॉटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियों क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे० निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -	
(क) जिला	:- सिंगरौली
(ख) तहसील	:- सरई
(ग) ग्राम	:- अमरईखोह
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 43.06 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4
1	10/2	1.600	कोयला उत्खनन हेतु
2	10/3	0.020	
3	132	0.050	
4	148/1/1	0.790	

5	148/1/2	0.020
6	148/2/1	0.002
7	148/2/2	0.200
8	148/2/3	0.200
9	148/2/4	0.004
10	148/2/5	0.004
11	148/3	0.020
12	148/4	0.130
13	148/5	0.130
14	147/2/1/1/1/1/1	0.020
15	147/2/1/1/1/1/2	0.010
16	147/2/1/1/1/2	0.010
17	147/2/1/1/2/1	0.010
18	147/2/1/1/2/2	0.010
19	147/2/1/2	0.010
20	147/2/1/3	0.040
21	147/2/1/4	0.010
22	147/2/1/5	0.010
23	147/2/1/6	0.010
24	147/2/1/7	0.010
25	147/2/1/8	0.010
26	147/2/1/9	0.010
27	147/2/1/10	0.010
28	147/2/1/11	0.010
29	147/2/2/1	0.020
30	147/2/2/2	0.040
31	147/2/2/4	0.040
32	147/2/3/1	0.010
33	147/2/3/2	0.080
34	147/1/1/1	0.010
35	147/1/1/2	0.020
36	147/1/1/3	0.020
37	147/1/1/4	0.010
38	147/1/2/1	0.030
39	147/1/2/2	0.020
40	127/1/1/1	0.284
41	127/1/1/2	0.020
42	127/1/2	0.012
43	127/1/3	0.020
44	127/1/4	0.016
45	127/1/5	0.012
46	127/1/6	0.020
47	127/1/7	0.010
48	127/1/8	0.020
49	127/1/9	0.010

50	127/1/10	0.010
51	127/1/11	0.032
52	127/1/12	0.008
53	127/1/13	0.008
54	127/1/14	0.008
55	127/1/15	0.020
56	127/2	0.060
57	127/3	0.080
58	125/1	0.450
59	125/2	0.140
60	128/2	0.650
61	6/2	0.020
62	6/3	0.020
63	6/4	0.020
64	8/1	0.060
65	8/2	0.060
66	8/3	0.120
67	9/1	0.140
68	9/2	0.090
69	9/3	0.050
70	9/4	0.270
71	11/1	0.080
72	11/2/2	0.020
73	11/2/1	0.070
74	11/3	0.180
75	13/1	0.040
76	13/2	0.080
77	13/3	0.040
78	14/1	0.030
79	14/2	0.020
80	14/3	0.060
81	12/1	0.060
82	12/2/1	0.020
83	12/2/2	0.020
84	12/2/3	0.020
85	12/3	0.130
86	15/1	0.040
87	15/2/1	0.020
88	15/2/2	0.020
89	15/3	0.070
90	20/1	0.080
91	20/2	0.040
92	20/3	0.050
93	17/2	0.020
94	17/3	0.020

95	17/4	0.020
96	17/5	0.020
97	21/1	0.200
98	21/2	0.100
99	21/3	0.100
100	21/4	0.800
101	21/5	0.800
102	123/1/1/1	0.010
103	123/1/1/2	0.170
104	123/1/1/3	0.170
105	123/1/1/4	0.170
106	123/1/1/5	0.010
107	123/1/1/6	0.010
108	123/1/2/1	0.150
109	123/1/2/2	0.100
110	123/1/2/3	0.080
111	123/1/2/4	0.020
112	123/1/3/1	0.140
113	123/1/3/2	0.020
114	123/1/3/3	0.020
115	123/1/3/4	0.020
116	123/2	0.770
117	123/3	0.330
118	136/1/1	0.370
119	136/1/2	0.010
120	136/1/3	0.020
121	136/1/4	0.010
122	136/1/5	0.010
123	136/2	0.060
124	136/3	0.060
125	136/4/1	0.040
126	136/4/2	0.160
127	135/2/1	0.200
128	135/2/2	0.190
129	137/3/1	0.010
130	137/3/2	0.370
131	137/3/3	0.370
132	137/2/1/1/1/1/1	0.368
133	137/2/1/1/1/1/2	0.010
134	137/2/1/1/1/2	0.010
135	137/2/1/1/2	0.010
136	137/2/1/2	0.010
137	137/2/1/3	0.040
138	137/2/1/4	0.032
139	137/2/2	0.200

140	137/2/3/1	0.020
141	137/2/3/2	0.040
142	137/2/3/3	0.040
143	137/2/3/4	0.040
144	137/2/3/5	0.020
145	137/2/3/6	0.040
146	137/2/4	0.040
147	137/2/5	0.040
148	137/2/6	0.040
149	138/1	0.080
150	138/2	0.280
151	138/3	0.270
152	138/4	0.270
153	46	0.130
154	45/2	0.020
155	39/1/1	0.050
156	39/1/2	0.050
157	39/1/3	0.025
158	39/1/4	0.040
159	39/1/5	0.035
160	39/2	0.190
161	47/1/1	0.015
162	47/1/2	0.015
163	47/2	0.040
164	42	0.200
165	41	0.020
166	40	0.050
167	38/1	0.030
168	38/2	0.030
169	37/2	0.020
170	37/3	0.020
171	36	0.420
172	139/2	0.060
173	139/3	0.020
174	139/4	0.220
175	139/5	0.220
176	139/6	0.220
177	139/7	0.040
178	139/8/1	0.020
179	139/8/2	0.020
180	139/9	0.040
181	139/10	0.060
182	139/11	0.010
183	139/12	0.010
184	106/1/1/1	0.030
185	106/1/1/2	0.010
186	106/1/2	0.040

187	106/2	0.070
188	105/1/1/1/1/1	0.010
189	105/1/1/1/1/2	0.012
190	105/1/1/1/2	0.020
191	105/1/1/2	0.040
192	105/1/2	0.024
193	105/1/2	0.020
194	105/2	0.080
195	140/1/1/1/1	0.066
196	140/1/1/1/2	0.004
197	140/1/1/1/3	0.032
198	140/1/1/1/4	0.010
199	140/1/1/1/5	0.010
200	140/1/1/1/6	0.010
201	140/1/1/1/7	0.040
202	140/1/1/1/8	0.012
203	140/1/1/1/9	0.012
204	140/1/1/1/10	0.004
205	140/1/1/1/11	0.004
206	140/1/1/1/12	0.004
207	140/1/1/1/13	0.004
208	140/1/1/1/14	0.004
209	140/1/1/1/15	0.020
210	140/1/1/1/16	0.032
211	140/1/1/1/17	0.012
212	140/1/2	0.020
213	140/1/3	0.020
214	140/2	0.120
215	140/3	0.060
216	140/4	0.060
217	140/2	0.050
218	141/1/1/1	0.060
219	141/1/1/2	0.010
220	141/1/2	0.010
221	141/2	0.010
222	141/2	0.010
223	143	4.050
224	144/2	0.020
225	103/1	0.590
226	103/2/1/1/1/1/1/1	0.214
227	103/2/1/1/1/1/1/2	0.020
228	103/2/1/1/1/1/2	0.010
229	103/2/1/1/1/2	0.020
230	103/2/1/1/2	0.010
231	103/2/1/2	0.020
232	103/2/2	0.010
233	103/2/2	0.040

234	103/2/3	0.020
235	103/2/4	0.040
236	103/2/5	0.032
237	103/2/6	0.032
238	103/2/7	0.006
239	103/2/8	0.040
240	103/2/9	0.010
241	103/2/10	0.010
242	103/2/11	0.006
243	103/2/12	0.004
244	103/2/13	0.004
245	103/2/14	0.020
246	103/2/15	0.016
247	103/2/16	0.008
248	103/2/17	0.010
249	103/2/18	0.020
250	103/2/19	0.010
251	103/2/20	0.032
252	103/2/21	0.004
253	103/2/22	0.010
254	103/2/23	0.010
255	103/2/24	0.032
256	103/2/25	0.010
257	103/2/26	0.010
258	103/2/27	0.010
259	103/2/28	0.040
260	102/1/1/1	0.020
261	102/1/1/2	0.020
262	102/1/1/3	0.020
263	102/1/1/4	0.040
264	102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1	0.108
265	102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
266	102/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
267	102/1/2/1/1/1/1/1/1/2	0.010
268	102/1/2/1/1/1/1/1/2	0.010
269	102/1/2/1/1/1/1/2	0.010
270	102/1/2/1/1/1/2	0.010
271	102/1/2/1/1/2	0.010
272	102/1/2/1/1/2	0.010
273	102/1/2/1/1/3	0.020
274	102/1/2/1/2	0.020
275	102/1/2/2	0.040
276	102/1/2/3	0.010
277	102/1/2/4	0.010
278	102/1/2/5	0.010
279	102/1/2/6	0.010

280	102/1/2/7	0.010
281	102/1/2/8	0.010
282	102/1/2/9	0.010
283	102/1/2/10	0.010
284	102/1/2/11	0.010
285	102/1/2/12	0.032
286	102/1/3/1/1/1/1	0.248
287	102/1/3/1/1/1/2	0.032
288	102/1/3/1/1/2	0.010
289	102/1/3/1/2	0.010
290	102/1/3/2	0.010
291	102/1/3/3	0.010
292	102/1/3/4	0.010
293	102/1/3/5	0.010
294	102/1/3/6	0.010
295	102/1/3/7	0.010
296	102/1/3/8	0.010
297	102/1/3/9	0.010
298	102/1/3/10	0.010
299	102/1/3/11	0.010
300	102/2	0.300
301	121	0.610
302	119/1/1/1/1/1	0.044
303	119/1/1/1/1/2	0.016
304	119/1/1/1/2	0.008
305	119/1/1/2	0.004
306	119/1/2	0.012
307	119/2	0.016
308	117	0.840
309	113/1	0.070
310	113/2	0.140
311	113/3	0.070
312	113/4	0.250
313	113/5	0.030
314	112/1/1	0.029
315	112/1/2	0.050
316	112/1/3	0.011
317	112/2	0.100
318	99	0.350
319	110/1/1	0.040
320	110/1/2/1	0.010
321	110/1/2/2	0.040
322	110/1/2/3	0.010
323	110/1/2/4	0.010
324	110/1/3/1	0.060
325	110/1/3/2	0.060
326	110/2	0.180
327	110/3/1	0.040

328	110/3/2	0.080
329	110/3/3	0.060
330	110/4	0.170
331	88/2/1	0.800
332	88/2/2	0.800
333	88/2/3	0.400
334	90/2	0.040
335	90/3/1/1	0.100
336	90/3/1/2	0.030
337	90/3/2	0.070
338	90/3/3/1	0.010
339	90/3/3/2	0.030
340	90/3/3/3	0.030
341	90/3/3/4	0.030
342	90/4	0.160
343	96/1	0.010
344	96/2	0.020
345	97	0.360
346	93/1/1	0.210
347	93/1/2	0.230
348	93/1/3	0.230
349	93/2	0.400
350	93/3	0.400
351	94/2	0.020
352	87/1/1	0.020
353	87/1/2	0.020
354	87/2	0.180
355	87/3/1	0.020
356	87/3/2	0.020
357	87/3/3	0.020
358	87/3/4	0.020
359	87/3/5	0.250
360	87/4	0.150
361	86/2/1/1	0.040
362	86/2/1/2	0.040
363	86/2/2	0.090
364	86/2/3	0.040
365	86/2/4	0.040
366	86/2/5	0.040
367	86/2/6	0.040
368	86/2/7	0.040
369	86/2/8	0.040
370	86/2/9	0.040
371	86/2/10	0.020
372	86/2/11	0.020
373	86/2/12	0.020

374	86/2/13	0.020
375	86/2/14	0.020
376	86/2/15	0.030
377	86/2/16	0.030
378	86/2/17	0.030
379	86/2/18	0.030
380	86/2/19	0.040
381	86/2/20	0.040
382	86/2/21	0.040
383	86/2/22	0.030
384	86/2/23	0.040
385	86/2/24	0.050
386	86/2/25	0.040
387	86/2/26	0.020
388	86/2/27	0.020
389	86/2/28	0.020
390	86/2/29	0.030
391	86/2/30	0.020
392	86/2/31	0.030
393	86/2/32	0.030
394	86/2/33	0.030
395	86/2/34	0.030
396	85/1	0.060
397	85/2	0.240
398	74/2	0.020
399	80/1/2	0.010
400	80/2/1/1	0.010
401	80/2/1/2	0.010
402	80/2/2	0.010
403	80/1/1	0.020
404	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 /1	0.450
405	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 /2	0.040
406	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.012
407	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
408	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.012
409	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
410	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.010
411	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
412	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
413	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
414	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.028
415	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.020
416	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3	0.010
417	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4	0.010
418	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5	0.020
419	79/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6	0.004

420	79/2/1/1/7	0.004
421	79/2/1/1/8	0.010
422	79/2/1/1/9	0.010
423	79/2/1/1/10	0.010
424	79/2/1/1/11	0.010
425	79/2/1/1/12	0.010
426	79/2/1/1/13	0.010
427	79/2/1/1/14	0.010
428	79/2/1/1/15	0.010
429	79/2/1/1/16	0.070
430	79/2/1/1/17	0.010
431	79/2/1/1/18	0.040
432	79/2/1/2	0.010
433	79/2/1/3	0.010
434	79/2/1/4	0.010
435	79/2/2	0.060
436	84/1	0.340
437	84/2	0.290
438	78/1	0.032
439	78/2	0.032
440	78/3	0.031
441	78/4	0.075
442	78/5	0.090
443	77/1/1	0.013
444	77/1/2	0.045
445	77/1/3	0.014
446	77/1/4	0.025
447	77/2	0.013
448	76/2/1/1/1	0.288
449	76/2/1/1/2	0.080
450	76/2/1/1/3	0.080
451	76/2/1/1/4	0.040
452	76/2/1/1/5	0.040
453	76/2/1/1/6/1	0.035
454	76/2/1/1/6/2	0.005
455	76/2/1/2	0.052
456	76/2/2/1	0.038
457	76/2/2/2	0.052
458	76/2/3/1	0.175
459	76/2/3/2	0.025
460	76/2/4/1	0.175
461	76/2/4/2	0.025
462	76/2/5/1	0.175
463	76/2/5/2	0.025
464	76/3/1	0.100
465	76/3/2	0.100
466	65/1	0.030
467	65/2	0.030

468	65/3	0.030
469	65/4	0.030
470	62/1	0.100
471	62/2	0.080
472	62/3 ..	0.090
473	62/4	0.090
474	60/1	0.050
475	60/2	0.050
476	60/3	0.050
477	60/4	0.050
478	60/5 .	0.100
479	60/6	0.110
480	59	0.370
481	35/1/1	0.013
482	35/1/2	0.013
483	35/1/3	0.013
484	35/1/4	0.013
485	35/2	0.050
486	54/1/1	0.055
487	54/1/2	0.055
488	54/1/3	0.030
489	54/1/4	0.030
490	54/1/5	0.060
491	54/1/6	0.065
492	54/1/7	0.065
493	54/2	0.080
494	54/3	0.010
495	53/2/1/1/1	0.390
496	53/2/1/1/2	0.010
497	53/2/1/2	0.010
498	53/2/2	0.010
499	53/2/3	0.010
500	52	0.110
501	53/1/1	0.040
502	53/1/2/1	0.020
503	53/1/2/2	0.020
504	53/1/3/1	0.030
505	53/1/3/2	0.020
506	53/1/4/1	0.050
507	53/1/4/2	0.010
508	53/1/5/1	0.050
509	53/1/5/2	0.010
510	53/1/5/3	0.010
511	53/1/6	0.070
512	48/1	0.010
513	48/1/2	0.010

514	48/1/3	0.010
515	48/1/4	0.010
516	48/1/5	0.010
517	48/2	0.120
518	49/1	0.020
519	49/2	0.020
520	49/3	0.020
521	49/4	0.020
522	49/5	0.060
523	49/6	0.060
524	50/1	0.015
525	50/2	0.015
526	50/3	0.020
527	50/4	0.020
528	50/5	0.020
529	50/6	0.020
530	151/1	0.080
531	151/2	0.070
532	151/3	0.080
533	151/4	0.070
534	51/1	0.050
535	51/2	0.050
536	51/3	0.040
537	51/4	0.040
538	51/5	0.080
539	51/6	0.080
कुल योग		43.06

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पु क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्रमांक 379 / भू-अर्जन / 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि कॉलम 04 में उल्लेखित प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक के लिए जिला सिंगरौली तहसील सरई अतर्गत ग्राम सिरसवाह 0.62 हे० निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है। परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 07 एवं धारा 08 के तहत कार्यवाही की जाकर सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा एवं कलेक्टर की अनुशंसा को अभिलिखित किया जाकर दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं सिंगरौली जिले की वेबसाइट में अपलोड भी किया गया है। साथ ही मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिले के तहसील सरई में धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित भूमियों क्रमशः ग्राम आमडाड, अमरईखोह, बासीबेरदाह, बेलवार, धिरौली, झलरी, फाटपानी एवं सिरसवाह की 554.01 हे० निजी भूमियों के अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 09 के अनुसार पूर्व सहमति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना क्षेत्र से प्रभावित भूमि स्वामियों के द्वारा 80 प्रतिशत से ज्यादा सहमति प्रदाय की गई है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा परियोजना हेतु निम्नानुसार अर्जन किया जाता है:-

—: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -	
(क) जिला	:- सिंगरौली
(ख) तहसील	:- सरई
(ग) ग्राम	:- सिरसवाह
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 0.62 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4
1	41/1/1	0.34	कोयला उत्खनन हेतु
2	41/2/1/1	0.06	
3	41/2/1/2	0.02	

4	41/2/1/3	0.02
5	41/2/1/4	0.02
6	41/2/1/5	0.01
7	41/2/1/6	0.01
8	41/3	0.14
कुल योग		0.62

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सिंगरौली को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका म0प्र0 राजपत्र 10. के पृ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इय कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं होने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

5. अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

राजीव रंजन मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 50-भू-अर्जन-2022-4 अ82/2020-21

गुना, दिनांक 24 फरवरी 2022

(देखिये धारा-19)

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है :-

- (1) परियोजना का नाम :- सुठालिया सिंचाई परियोजना
- (2) भूमि का विवरण :-
 - 1) जिला :- गुना
 - 2) तहसील :- मक्सूदनगढ़
 - 3) ग्राम :- राजपुरा
 - 4) प.ह.न. :- 45
 - 5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 25.934 हैक्टेयर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पुत्र गनपत जाति सहर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	41/1/घ	0.500	0.100
		कुल 1 किता	0.500	0.100
2	बजेसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/1	0.841	0.294
		कुल 1 किता	0.841	0.294
3	मु. गुलाबबाई बेवा चैनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमल, शकर, सूरजसिंह सन्तीबाई पिता चैनसिंह पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	61/2/क 66 91	1.045 0.293 0.366	0.888 0.293 0.146
		कुल 3 किता	1.704	1.328

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
4	भमरलाल रंगलाल पुत्रगण पन्नालाल कैलाशबाई भूरियाबाई भगवतीबाई मानोरबाई पुत्रिया पन्नालाल कपूरीबाई बेवा पन्नालाल जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	61/2/ख	0.993	0.794
		कुल 1 किता	0.993	0.794
5	मथरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.480	0.144
		68/2	1.317	1.317
		80	0.209	0.209
		83/4	1.150	0.173
		84	0.303	0.242
		90/2	0.170	0.068
		90/6	0.032	0.002
		कुल 7 किता	3.661	2.155
6	जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.481	0.144
		75/2/क/2	0.343	0.343
		70/2	1.129	1.129
		68/1	0.221	0.221
		82	0.167	0.167
		83/1	1.045	0.627
		90/3	0.170	0.136
		90/4	0.140	0.112
		98	0.721	0.505
		कुल 9 किता	4.417	3.384
7	गुलाबबाई धापूबाई पुत्रिया कासीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/2	0.209	0.021
		कुल 1 किता	0.209	0.021
8	रमेश चन्दनसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	57	0.303	0.045
		कुल 1 किता	0.303	0.045
9	उमरावबाई बेवा आशाराम शान्तीलाल रामप्रसाद पुत्र आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी नारानीबाई समन्त्रीबाई धापूबाई पुत्रिया आशाराम जाति लोधी पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	78	0.230	0.230
		65	0.460	0.460
		कुल 2 किता	0.690	0.690
10	भमरलाल, मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	77	0.972	0.972
		88/1	3.762	3.574
		कुल 2 किता	4.734	4.546
11	भमरलाल पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	76	0.209	0.209
		कुल 1 किता	0.209	0.209
12	रामचरण पुत्र गंगाराम जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/1	0.627	0.627
		कुल 1 किता	0.627	0.627

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.म)
1	2	3	4	5
13	देवसिंह पुत्र मांगीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/2/क/1	0.157	0.157
		70/1	0.470	0.470
		कुल 2 किता	0.627	0.627
14	श्रीकृष्ण पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/1	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
15	मु. वादामबाई वेवा ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी कोशल्या, सरजू पुत्रीया ऊंकारलाल जाति लोधी नि. ग्राम सामान भाग भूमि स्वामी	74/2	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
16	मांगीलाल पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/3	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
17	हेमराज पुत्र भमरलाल बसन्तीबाई पुत्रीया भमरलाल गुलाबबाई बेवा भमरलाल जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/4	0.042	0.042
		कुल 1 किता	0.042	0.042
18	रामबाई पुत्र छीतर जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	74/5	0.031	0.031
		कुल 1 किता	0.031	0.031
19	जमनालाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/1	0.090	0.090
		63/2/1	0.180	0.180
		कुल 2 किता	0.270	0.270
20	रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/2	0.090	0.090
		63/2/2	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.269	0.269
21	शंकरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/1/3	0.091	0.091
		63/2/3	0.179	0.179
		कुल 2 किता	0.270	0.270
22	छोटेलाल पुत्र मनीराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/1	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
23	भूलीबाई वेवा नैनकराम लाखनसिंह पुत्र नैनकराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	73/2/2	0.136	0.136
		कुल 1 किता	0.136	0.136
24	हीरालाल पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	72	0.314	0.314
		68/3	2.966	2.966

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अजित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
		83/2	1.254	0.188
		90/1	0.170	0.102
		90/5	0.060	0.048
		कुल 5 किता	4.764	3.618
25	नारानसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/1	0.135	0.135
		88/2/1	0.162	0.032
		कुल 2 किता	0.297	0.167
26	हजारीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/2	0.136	0.136
		88/2/2	0.162	0.016
		कुल 2 किता	0.298	0.152
27	करनसिंह पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/3	0.136	0.136
		88/2/3	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
28	बद्रीलाल पुत्र प्रथीसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	71/4	0.136	0.136
		88/2/4	0.162	0.049
		कुल 2 किता	0.298	0.185
29	केशरबाई बेवा काशीराम जाति मेर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	58/1	0.334	0.117
		कुल 1 किता	0.334	0.117
30	मीराबाई बेवा सुन्दरलाल मनोहरसिंह, शिवराजसिंह, पुत्रगण सुन्दरलाल, रानीबाई नाबा पिता सुन्दरलाल नाबा सर मां जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/1	0.836	0.836
		कुल 1 किता	0.836	0.836
31	अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/4	0.180	0.180
		कुल 1 किता	0.180	0.180
32	अजबसिंह पुत्र रामबाबू जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/5	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
33	रामसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	63/2/6	0.179	0.179
		कुल 1 किता	0.179	0.179
34	हीरालाल मथरालाल जगन्नाथ पुत्र गोपीलाल जाति अहीर पता नि.ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	79	0.073	0.073
		90/7	0.010	0.008
		कुल 2 किता	0.083	0.081
35	अनारबाई बेवा देवीसिंह भारतसिंह बनेसिंह विशनसिंह दरयावसिंह पुत्रगण देवीसिंह कमलाबाई सुमनबाई लीलाबाई पुत्रीया देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	81	0.209	0.209
		85	0.669	0.669
		86	0.010	0.010
		कुल 3 किता	0.888	0.888
36	गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	97/2	2.090	1.672

क्रमांक 52-खैराड डूब- भू-अर्जन-2022

प्रकरण क्रमांक 2 अ82/2020-21 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया कि दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम खैराड तहसील मक्सूदनगढ की भूमि की आवश्यकता है, इस आशय की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन म0प्र0राजपत्र भाग 1 में दिनांक 05.03.2021 को कराया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव समय पर न करने, कृषकों के अवरोध करने तथा कोविड 19 महामारी व जिले में अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का सार प्रकाशन हेतु सुसंगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

अनुसूची (1)
भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टर में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
गुना	मक्सूदनगढ	खैराड	107.119 हेक्टर	सुठालिया परियोजना के निर्माण हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) अदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी परगना राघौगढ जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

फेंक नोबल ए. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2022

क्र. 449-495-2021-अ-तिहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा निर्णय लिया गया कि:—

1. संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार एमपीस्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी की जाती है।
2. प्रशासकीय विभाग को मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड हेतु वेंचर केपीटल फंड के लिए आवंटित बजट राशि (मद संख्या 7623 एवं 7624) का उपयोग किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।
3. मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रचलित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में संविलयन (Merger) किया जावे। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आगामी वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव।

एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022

1. परिचय

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ इईंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसके अन्तर्गत उत्पाद आधारित

स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।

2. स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य

स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के मुख्य उद्देश्य प्रदेश में :-

- i. सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive intervention) और अन्य उत्प्रेरक (Catalyst) कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) का विकास।
- ii. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत (Registered) एवं मान्यता प्राप्त (Recognized) स्टार्ट-अप में 100% विकास दर प्राप्त करना।
- iii. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200% विकास दर प्राप्त करना।
- iv. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स (Product Start-ups) की संख्या में वृद्धि।
- v. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार।
- vi. स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
- vii. नवाचार (Innovation) और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास।
- viii. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना।

3. नीति फोकस क्षेत्र -

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति पाँच स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

- i. संस्थागत सहयोग (Institutional Support) ईज ऑफ़ इईंग बिजनेस सहित।
- ii. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।
- iii. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- iv. विपणन सहयोग।
- v. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता।

4. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्य प्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

5. परिभाषाएं –

1. 'स्टार्टअप' से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता (recognized) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हो।

महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप (Product Start-up) से अभिप्रेत है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो, जिसका एक भौतिक आकार हो।
3. इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। साथ ही इसका स्टार्ट-अप इण्डिया मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित/ कार्यरत होना अनिवार्य होगा।
4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (TBI) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।
5. मेजबान संस्था से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान् औद्योगिक प्रतिष्ठान/स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी/विशेष प्रयोजन इकाई (यां)।
6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TREDS) प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
7. राज्य स्तरीय स्टार्ट अप साधिकार समिति-से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती

अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

8. राज्य स्तरीय आंकलन/मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती State Innovation Challenge अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ।
9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति ।

6. स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स को सहयोग/सहायता -

स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

6.1 संस्थागत सहयोग (Institutional Support) -

6.1.1 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/आयोजनों/कार्यशालाओं इत्यादि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

• स्टार्ट-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

- i. राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।
- ii. स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय / सतत सम्पर्क करना।
- iii. निर्धारित रीति से किसी भी अनुमोदन / प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना।
 - iv. यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
 - v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।
 - vi. केंद्र स्टार्टअप / नवोन्मेषी (Innovative) उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफार्मस् में अपनी सेवाओं / उत्पादों को पिच / शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेबी / आरबीआई / अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशकों / कॉर्पोरेट निवेशकों / अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी/अन्य वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।
 - vii. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।
 - viii. स्टार्ट-अप्स को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
 - ix. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्पस, चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज तथा निवेशक सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन।
 - x. स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
 - xi. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन ।
- प्रस्तावित सेंटर हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था –
 - कार्यकारी प्रमुख - 1
 - विषय विशेषज्ञ - 3 (कानूनी मामले, विपणन एवं वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन प्रत्येक के लिए एक)

➤ सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी – 10

सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी को छोड़कर कार्यकारी प्रमुख तथा विषय विशेषज्ञों संबंधी मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवर विशेषज्ञों से की जावेगी। इन पदों को प्रचलित बाजार मापदण्डों/परिलब्धियों के अनुरूप वेतन प्रदान किया जावेगा। कार्यकारी प्रमुख का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 2.50 से 3.00 लाख एवं विषय विशेषज्ञ का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 1.00 से 1.50 लाख आंकलित होगा। उक्त पदों की व्यवस्था पूर्णतः संविदात्मक एवं अनुबंध के आधार पर 3 वर्षों के लिए होगी। इस अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।

सहयोगी कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग तथा उसके अधीन कार्यरत निगम/संस्थाओं में कार्यरत विद्यमान कार्यबल से की जावेगी।

● प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था –

एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट-अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी। वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एमपी स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना एवं स्टार्टअप/इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जायेगा।

6.1.2 सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल का विकास -

प्रदेश में स्टार्ट-अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जावेगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इन्व्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट-अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं इन्व्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः (Preferably) सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

6.1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation) -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर इन्दौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, आइआइएसईआर (IISER), आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ यथा संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किए जावेंगे। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटरनशिप को प्रोत्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट-अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

6.1.4 ईज ऑफ़ इईंग बिजनेस (EODB) -

प्रदेश के स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेट किया जावेगा। आवश्यक अनुमति/सम्मतियों के लिए कार्यान्तर स्वीकृति (Post Facto) की व्यवस्था

सुनिश्चित की जावेगी। मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस गारन्टी अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित, 2020) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप मान्य अनुमोदन (Deemed Approval) भी प्रदान किया जावेगा।

6.2 विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/सहायता (Marketing & Liquidity Support/Assistance) -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) निम्नानुसार प्रावधान किए जावेंगे -

- रुपये 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट-अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों/मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी। रुपये 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझो तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा/उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।
- रुपये 1 करोड़ से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं (NIT)/प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट-अप के लिए आकल्पन प्रमाण (Proof of Concept) को मान्य/स्वीकार किया जावेगा। किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- राज्य शासन के समस्त निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में सुरक्षा निधि (Security Deposit) बयाना राशि (EMD) से छूट प्राप्त होगी।
- अन्य -
राज्य सरकार के निगम मण्डलों तथा प्रमुख विभागों को यथासंभव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत TREDIS Platform (Trade Receivable Discounting System) से जोड़ा जावेगा, ताकि स्टार्ट-अप्स को नकद तरलता की कमी (Liquidity Crunch) का सामना ना करना पड़े।

6.3 वित्तीय सहायता (Financial Assistance) -

6.3.1. प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स -

- प्राप्त निवेश पर सहायता - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/ RBI द्वारा अधिमन्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15% की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी। यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15% की दर से देय होगी।
उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्व्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी।
- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता।
- आयोजन सहायता - स्टार्ट-अप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इन्व्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- इन्व्यूबेशन उन्नयन सहायता - इन्व्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किन्तु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्व्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20% की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। यह सुविधा इन्व्यूबेटर के सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
- लीज रेंटल सहायता - स्टार्टअप्स को लीज पर लिये गये कार्यस्थल हेतु चुकाये गये प्रतिमाह किराये का 50% अधिकतम रू. 5000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिये। उक्त सहायता राज्य शासन अथवा राज्य शासन से सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टर्स में स्थापित उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को उनके द्वारा लीज पर लिये गये भू-खण्ड/शेड/निर्मित स्थान पर चुकाये गये लीज रेंट एवं संधारण शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। परन्तु उक्त सहायता किसी भी परिस्थिति में उक्त मर्दों में चुकायी गयी राशि के 50% अधिकतम रू. 5000/- प्रतिमाह एवं तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- पेटेंट सहायता - पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपए रूपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो।

- 6.3.2 उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग-**
- एक वर्ष हेतु समवर्ती अनुज्ञप्ति/सम्मति (Concurrent License/Consent) की सुविधा।
 - एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा ।
 - **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** – स्टार्ट-अप्स को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रूपए 13000 प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिये अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।
 - **रोजगार सृजन अनुदान** - नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी एवं अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अन्दर	50%
2	2 वर्ष के अन्दर	75%
3	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

- विद्युत शुल्क पर छूट :- सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 3 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
- विद्युत टैरिफ में रियायत :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों हेतु 5 रुपये प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।
- प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्ययाधीन प्राप्त हो सकेगा।

6.3.3 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता -

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति का गठन किया जावेगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

- रूप 1 करोड़ तक अनुदान, जिसे अधिकतम चार चरणों अथवा इस हेतु सक्षम समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्पापित किया जावेगा। चयनित स्टार्ट-अप्स का आंकलन, निगरानी एवं मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए द्वारा कार्यों के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।
- समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति।

- दो वर्षों हेतु राज्य उपार्जन में सहायता। उपयुक्त पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर होने वाले संशोधन सहित) के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।
 - अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग/कार्यालयीन सहयोग सहित बैठक व्यवस्था।
 - उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप चयनित होने की दशा में उसे नीति में उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप हेतु प्रावधानित सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
7. प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश – स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ संलग्न प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अनुसार प्रदान किया जावेगा।
8. संशोधन / शिथिल/निरसन का अधिकार -
- नीति अन्तर्गत प्रावधानों के रहते मध्य प्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -
- 7.1 इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।
 - 7.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
 - 7.3 नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश / स्पष्टीकरण / दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
 - 7.4 इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 अप्रभावी हो जावेगी।
9. अधिकार क्षेत्र
- किसी भी विवाद के मामले में, न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022

(प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश)

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 लागू की गई है। उक्त नीति में स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को विभिन्न सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022" लागू करता है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-

- 2.1 यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।
- 2.2 स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के प्रकरण में अधिसूचना दिनांक के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को इस नीति अन्तर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 2.3 अधिसूचना दिनांक से पूर्व स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। ऐसे प्रकरणों का निराकरण को पूर्व नीति के अनुरूप किया जावेगा।
- 2.4 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स को सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्ट -अप कार्यान्वयन योजना, 2022" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

योजना कार्यान्वयन हेतु समितियों का गठन -

3.1 राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति -

राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम कियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव नगरीय आवास एवं विकास विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7	महानिदेशक अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
9	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

3.3 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	प्रमुख सचिव संबंधित विभाग (चुनौती में चयनित विषय के)	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव से अनिम्न अधिकारी ना हों)	सदस्य
4	महानिदेशक अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर,	सदस्य सचिव
6	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

- 3.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति:- पात्र स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं के पात्रता निर्धारण एवं स्वीकृति हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1.	प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	उद्योग आयुक्त, म.प्र.	सदस्य
8.	संचालक, एमएसएमई	सदस्य
9.	प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर, भोपाल	सदस्य सचिव
6	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

टीप :-समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 5 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. विविध :-

- 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स को उपलब्ध होगी।
- 4.2 स्टार्ट-अप्स एवं इन्व्यूबेटर्स को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- 4.3 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई (उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को छोड़कर) द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।
- 4.4 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में राज्य स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।

5. समितियों के दायित्व

- 5.1 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति का दायित्व -

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु संस्थान से अवधारणा आमंत्रित किए जाने एवं उन पर सर्व संबंधित विभागों के अभिमत/अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। समिति नीति के सुगम क्रियान्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का दायित्व भी निर्वहन करेगी। समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

5.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का दायित्व - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति द्वारा चयनित संस्थान द्वारा आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु किए गए कार्यों का आंकलन एवं मूल्यांकन कर उन्हें समयबद्ध रीति से राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा करेगी।

5.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति का दायित्व -

5.3.1 योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

5.3.2 मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

5.3.3 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली स्वीकृत सहायता की किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में समक्ष प्रस्तुत किए बगैर प्राप्त होंगी।

5.3.4 समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

5.3.5 समुचित विचारोपरान्त राज्य स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह योजना अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।

- 5.3.6 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिए गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
6. योजनान्तर्गत आवेदन इकाई को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे :-
- 6.1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होने की प्रमाणित छाया प्रति।
- 6.2 इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र।
- 6.3 इकाई के गठन संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- 6.4 निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र ।
- 6.5 वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्रोतों से अथवा बैंक ऋण अथवा सेबी/आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र) ।
- 6.6 संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन।
- 6.7 उत्पाद आधारित स्टार्ट अप को योजनान्तर्गत प्रावधानित गैर वित्तीय सुविधाओं का लाभ आवेदन करने पर प्राप्त हो सकेगा किन्तु वित्तीय सुविधाओं का लाभ इकाई में वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात प्राप्त हो सकेगा।

7. **अपील -** राज्य स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रशासकीय विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को विभाग गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
8. **ब्याख्या/मार्गदर्शन/आवेदन प्रारूप/प्रपत्र तैयार करने के अधिकार -**
योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। योजनान्तर्गत प्रावधानित सहायता का लाभ लेने हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करने हेतु प्रशासकीय विभाग अधिकृत होगा। इस योजना एवं राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. **संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन -**
योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -
- 10.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,
10.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

राजीव जैन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जनवरी 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र.-487-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (है. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेरूआकला	4.460	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.)	ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 1 फरवरी 2022

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक 412-रीडर-1-2022-क्रमांक-428-ब-121-1-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प.ह.नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न. 71, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम-चिचलीबुजुर्ग, प.ह.नं. 41, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-चिचली बुजुर्ग, प.ह.नं. 41	527/2/2	0.040
			525/1	0.017
			525/3	0.034
			526	0.042
			521/1	0.034
			524	0.056
			522	0.008
			392/2	0.033
			394	0.090
			401	0.020
			402	0.104
			403	0.060
			474/2	0.015
			474/1	0.024
कुल योग				<u>0.577</u>

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-414-रीडर-1-2022-क्र. 426-B-121-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प.ह.नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम-जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम-रोहणी, प.ह.नं. 60, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-रोहणी, प.ह.नं. 60	128/2	0.030
			134/2	0.011
			164	0.018
			163	0.016
			167/1	0.070
			160	0.040
			159/1/2	0.005
			159/1/3	0.044
			159/2	0.008
			176	0.040
			174	0.020
			179	0.060
			180	0.052
			183/2	0.020
			181	0.024
			182	0.004
			77	0.016
			49	0.040
			76/2	0.032
			76/1	0.025
			75	0.011
			60/2	0.040
			64	0.010
			61	0.038
			62	0.035
			63/2	0.036
			65	0.003
			52	0.007
			47	0.025
			324	0.031
325	0.051			
367	0.032			
368	0.046			
364/1	0.040			
362	0.035			
361/1	0.020			
360/1/1	0.040			
357	0.021			
356	0.022			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			355	0.075
			391/1	0.030
			391/3	0.007
			394/1	0.037
			394/3	0.033
			393/1	0.076
			33/4	0.006
			34/1	0.026
			35/1	0.017
			36/1/2	0.065
			340	0.093
			342	0.078
			346	0.131
			350/1	0.053
			350/2	0.027
			351	0.037
			352	0.064
			395	0.077
			396	0.085
			398	0.075
			401/1	0.042
			405/1	0.042
			408/1	0.037
			409/1	0.038
			411	0.050
			कुल योग	2.419

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-415-रीडर-1-2022-क्र. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प.ह.नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.नं. 71, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-41 में जल परिवहन हेतु ग्राम-लखनगांव, प.ह.न. 11, रा.नि.मं.-01, चिचगोहन, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-लखनगांव, प.ह.न. 11	500	0.019		
			494	0.007		
			499/3	0.029		
			499/2	0.029		
			498/4	0.023		
			498/3	0.025		
			498/1	0.073		
			427	0.004		
			407	0.045		
			410/2	0.032		
			409/2	0.008		
			कुल योग			0.294

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-417-रीडर-1-2022-क्र. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा) से टेल (ग्राम-सिवना, प.ह.न. 66, तहसील एवं जिला-खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-30 एवं 35 में जल परिवहन हेतु ग्राम-माथनी बुजुर्ग, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-माथनी बुजुर्ग, प.ह.नं. 62	248/1	0.101
			247	0.012
			138/2	0.010
			138/1	0.025
			137/2	0.004
			137/1	0.022
			136/2	0.033
			136/1	0.042
			132	0.009
			135	0.034
			134/1	0.047
			66/2	0.028
			66/1	0.026
			67/3	0.062
			68/2	0.070
			68/1	0.076
85	0.082			
87/1	0.011			
कुल योग				0.694

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-419-रीडर-1-2022-क्र. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा) से टेल (ग्राम-सिवना, प.ह.नं. 66, तहसील एवं जिला-खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम-भावसिंगपुरा, प.ह.न. 56, रा.नि.मं.-04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-भावसिंगपुरा, प.ह.नं. 56	63	0.158
			85/3/1	0.004
			85/4	0.011
			85/2	0.011
			86/1	0.055
			86/2	0.023
			90	0.090
			89	0.005
			91/1	0.072
			कुल योग	

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-421-रीडर-1-2022-क्र. अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा) से टेल (ग्राम-सिवना, प.ह.नं. 66, तहसील एवं जिला-खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम-अमलपुरा, प.ह.नं. 85, रा.नि.मं.-04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-अमलपुरा, प.ह.नं. 85	35	0.050
			95	0.014
			93	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			92	0.015
			91	0.030
			88	0.008
			81/1	0.018
			82	0.060
			73/2	0.010
			74/3	0.005
			74/2	0.051
			74/1	0.045
			72/1	0.048
			72/2	0.056
			126/1	0.040
			126/2	0.035
			125	0.048
			240	0.072
			241	0.087
			243/2	0.023
			243/1	0.121
			236/4	0.023
			231/1	0.025
			152/1	0.019
			151	0.072
			153	0.061
			154/1	0.079

कुल योग . . 1.134

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-423-रीडर-1-2022-क्र. 433-B-121-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.नं. 44, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा) से ग्राम-जावर, प.ह.नं. 57, में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-64 तथा पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम-जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-19 में जल परिवहन हेतु ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 59, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-धनगांव, प.ह.न. 59	498/2 504/1 497/1 497/2 496/1 505/1 522 245	0.016 0.014 0.069 0.060 0.023 0.039 0.019 0.017
कुल योग . .				<u>0.257</u>

प्ररूप—“ख”

{नियम-5 का उपनियम (2)}

पत्र क्रमांक-425-रीडर-1-2022-क्र. 0427-ब-121-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर, प.ह.नं.-57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (A) (ग्राम-जामली मुन्दी, प.ह.नं. 49, तहसील एवं जिला -खण्डवा तक), 2 (B) (ग्राम-गोकुलगांव, प.ह.न. 71, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक) (C) (ग्राम-कोटवाड़ा, प.ह.न. 59, तहसील एवं जिला-खण्डवा तक) में जल परिवहन हेतु ग्राम-जावर, प.ह.न. 57, रा.नि.मं.-03, जावर, तहसील एवं जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला-खण्डवा (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-जावर, प.ह.न. 57	69/1	0.046
			69/2	0.066
			68/3	0.041
			67	0.075
			66/1	0.030
			66/2	0.025
			65	0.050
			54	0.022
			53	0.022
			52	0.021
			1/2	0.050
			3	0.025
			1/1	0.048
			6	0.099
			8	0.095
			9/2	0.066
			24	0.046
			23	0.032
			22/2	0.019
			22/1	0.016
			29/2	0.035
			44	0.022
			503/1	0.020
			505	0.073
			504	0.053
			1024	0.073
			433/2	0.006
			778	0.105
			416/2	0.036
			411/2	0.018
			411/1	0.022
			611/2	0.015
			618/3	0.042
			618/1	0.067
			618/2	0.057
			619/1	0.029
			619/2	0.008
			619/3	0.020
			620/1	0.025
			620/2	0.020
			621	0.035
			821/3	0.027
			815	0.040
			814	0.048

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			813	0.047
			811/2	0.044
			810	0.062
			805/1	0.045
			718/2	0.033
			718/1	0.039
			719	0.089
			720	0.066
			721	0.061
			722	0.046
			741, 742	0.050
			740	0.045
			738	0.124
			737	0.041
			880/1	0.125
			885/1	0.145
			887	0.048
			889	0.015
			885/3	0.090
			885/4	0.075
			886/5	0.009
			893/1	0.040
			893/2	0.030
			893/3	0.031
			894/1	0.060
			894/2	0.040
			936/1	0.050
			936/2	0.010
			935	0.054
			934/6	0.010
			934/1	0.035
			934/4	0.055
			929/2	0.030
			929/3	0.056
			928/2	0.073
			985	0.065
			997/1	0.045
			997/2	0.043
			996	0.065
			1003/2	0.038
			1003/3	0.035
			787	0.058
			786/1	0.071
			785	0.022
			772/1	0.021
			749/2	0.035
			773/1	0.078
			755	0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			749/1	0.033
			750/2	0.051
			750/1	0.036
			751	0.059
			729/2	0.020
			736	0.062
			735	0.023
			732	0.041
			690, 691	0.160
			688	0.007
			कुल योग	4.736

अरविन्द कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 15 फरवरी 2022

पत्र क्र.-667-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को वर्णित निजी भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल हेक्टर	धारा 11 की उपधारा-1 एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम नगर	खोजनपुर	2.404	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदापुरम.	औबेदुल्लागंज-इटारसी मार्ग के कि. मी. 29/8 में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु पहुंच मार्ग के लिए ग्राम खोजनपुर, तहसील नर्मदापुरम नगर के 29 खाते- दारों/भूमिस्वामियों की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—तहसील नर्मदापुरम (नगर) में औबेदुल्लागंज-इटारसी मार्ग के कि.मी. 29/8 में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु पहुंच मार्ग के लिए ग्राम खोजनपुर, तहसील नर्मदापुरम नगर के 29 कृषकों/भूमिस्वामियों की निजी भूमि ख. नं. 141/10, 143/3, 144/5, 142/1, 143/1, 143/4, 145/1, 146/2, 146/4, 147/2, 147/3, 147/7, 147/8, 147/9, 116/5, 114/1, 114/3, 64/4, 112/4, 112/9, 107/3, 107/5, 107/10, 107/8, 107/23, 107/15, 107/17, 107/19, 104/1/1, 104/1/2, 103/1, 103/3, 102/4, 102/3, 101/1, 101/2, 100/3, 99/3, 230/3, 234/2, 116/3, 107/21, 107/22 कुल रकबा 39.914 हे. में से प्रस्तावित रकबा 2.404 हे. की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. B-910-दो-2-41-2019.—श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टि मेंबर (सीनियर), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2022 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर).

जबलपुर, दिनांक 08 फरवरी 2022

क्र. C-383-दो-2-41-2019.—श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टि मेंबर (सीनियर), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, फेकल्टि मेंबर (सीनियर), एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो फेकल्टि मेंबर (सीनियर), एम.पी.एस.जे.ए. के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. A-858-दो-2-19-2019.—श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2022 तक आठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-860-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 11 से 19 जनवरी 2022 तक, नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-862-दो-2-43-2020.—श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-864-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 14 से 18 फरवरी 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 फरवरी 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-866-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 19 से 22 जनवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-868-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 02 दिसम्बर 2019 से 1 दिसम्बर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-912-दो-2-50-2020.—श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-914-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 17-01-2022 का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 17-01-2022 से दिनांक 21-01-2022 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-916-दो-2-61-2018.—श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-918-दो-2-57-2021.—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 27 जनवरी से 05 फरवरी 2022 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-250-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 19 से 25 जनवरी 2022 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-252-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 11 से 25 जनवरी 2022 तक पन्द्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-245-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दासौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री पाण्डेय को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. अर्जित अवकाश | . . . 214 |
| अर्द्धवेतन अवकाश | . . . 86 |

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—
 - (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 214 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
 - (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = _____ X 86
के एवज में नगद 30
भुगतान.

क्र. C-254-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 11 से 21 जनवरी 2022 तक, ग्यारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी 2022

क्र. C-270-चार-8-42-1977 भाग-सोलह.—श्री हिदायत उल्ला खान, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हिदायत उल्ला खान, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हिदायत उल्ला खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-285-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को दिनांक 24 से 25 जनवरी 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-262-दो-2-35-2021.—श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2022 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-266-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को दिनांक 19 से 21 जनवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-268-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2022 तक, छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर).

जबलपुर, दिनांक 04 फरवरी 2022

क्र. C-243-दो-2-5-2022.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर).